अध्याय I

सहकारी सोसाइटी की पहचान

1. नाम : बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्राम सेवा सहकारी सोसाइटी लि. ....

2. पता : सोसाइटी का पंजीकृत और डाक पता (सोसाइटी की अवस्थिति) और ईमेल..

....

....

3. कार्यक्षेत्र : सोसाइटी के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित ग्राम पंचायतें/ग्राम पंचायतों के निम्नलिखित गाँव आएंगे:–
1).................................... 2).................................... 3)................................
4).................................... 5).................................... 6)................................

4. परिभाषाएं:–

(1) **''अधिनियम''** से राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 अभिप्रेत है;

(2) **''कृषि''** से कृषि और संबद्ध कार्यकलाप अभिप्रेत है;

(3) **''कार्यक्षेत्र''** से वह भौगोलिक क्षेत्र (राजस्व गांव/ग्राम पंचायतें) अभिप्रेत है जहां से सोसाइटी उपनियमों के विनिर्देश के अनुसार अपने सदस्य बनाने के लिए तथा साधारणतः कार्यकलाप करने के लिए प्राधिकृत है;

(4) **''संचालक मण्डल''** से इस सहकारी सोसाइटी का शासी निकाय अभिप्रेत है जिसे सोसाइटी के कार्यकलापों का प्रबन्धन सौंपा गया है;

(5) **''शाखा''** से अभिप्रेत सोसाइटी की शाखाएं हैं;

(6) **''उपनियम''** से अभिप्रेत है, सोसाइटी के पंजीकृत उपनियम और इसमें उनके संशोधन भी शामिल हैं;

(7) **''व्यवस्थापक''** से वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे सोसाइटी के संचालक मण्डल द्वारा उसके दैनंदिन कार्यकलापों के प्रबंधन कार्य के लिए सेवानियमों के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से भर्ती के पश्चात् नियुक्त किया गया हो, जो संचालक मण्डल के सामान्यतः पर्यवेक्षण, नियंत्रण और निर्देशन के अध्यधीन कार्य करेगा; इसमें जहाँ व्यवस्थापक की बजाय सहायक व्यवस्थापक मुख्य कार्यकारी के रूप में कार्य करता है, वहाँ सहायक व्यवस्थापक भी शामिल है और इसमें व्यवस्था के अन्तर्गत किसी अन्य सोसायटी के व्यवस्थापक/सहायक व्यवस्थापक को अतिरिक्त कार्यभार सौंपने पर वह भी शामिल है।

(8) **''सहकारी ट्रिब्यूनल''** से अभिप्रेत राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 105 के अधीन गठित सहकारी ट्रिब्यूनल है;

(9) **''प्रतिनिधि''** से अभिप्रेत सोसाइटी का ऐसा सदस्य है, जो किसी संघ या अन्य संगठन में उसके हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए विधिवत् रूप से नियुक्त किया गया हो;

(10) **"संचालक सदस्य" या "संचालक"** से अभिप्रेत संचालक मण्डल का वह सदस्य है, जिसे अधिनियम, नियमों और उपनियमों के अनुसार विधिवत रूप से निर्वाचित, नामांकित या सहयोजित किया गया हो;

(11) **"कर्मचारी"** से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे सोसाइटी के दैनंदिन प्रचालनों को बरकरार रखने के लिए विधिवत रूप से भर्ती के पश्चात् संचालक मण्डल द्वारा नियमानुसार नियुक्त किया गया हो;

(12) **"किसान"** से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो फसल उगाने के आर्थिक और/या जीवनयापी कार्यकलाप और अन्य प्राथमिक कृषि वस्तुओं के उत्पादन में सक्रिय रूप से लिप्त हो जिसमें पोल्ट्री और पशुधन पालक, मछुआरे, मधुमक्खी पालक, चरवाहे, गैर– कॉरपोरेट रोपणकर्ता के साथ–साथ बागवानी, पुष्पकृषि, रेशम उत्पादन, वर्मिकल्चर और कृषि वाणिकी जैसे कृषि संबंधी विभिन्न व्यवसायों में लिप्त व्यक्ति शामिल हैं। इस परिभाषा में झूमखेती और इमारती लकड़ी और गैर– इमारती लकड़ी, वनोपज के एकत्रीकरण, उपयोग और बिक्री में लिप्त आदिवासी परिवार/व्यक्ति भी शामिल होंगे;

(13) **"वित्तपोषक बैंक"** से वह बैंक अभिप्रेत है, जिससे सोसाइटी संबद्ध है या जिसके द्वारा सोसाइटी का मूलतः वित्तपोषण होता है। वित्तपोषक बैंक होने के नाते जिले के सहकारी बैंक को प्राथमिकता दी जायेगी;

(14) **"वित्तीय वर्ष"** से वह अवधि अभिप्रेत है, जो किसी वर्ष के अप्रैल के प्रथम दिन से आरंभ होकर अगले वर्ष के मार्च के अंतिम दिन तक हो;

(15) **"साधारण सभा"** से वह सभा अभिप्रेत है, जिसमें सोसाइटी के "ए" वर्ग के सभी सदस्यों को शामिल किया गया हो;

(16) **"सरकार"** से अभिप्रेत राजस्थान सरकार है;

(17) **"सदस्य की देनदारी"** से अभिप्रेत प्रत्येक सदस्य की देनदारी सीमा है, जो सोसाइटी की पूंजी के अंशदान के लिए उसके द्वारा धारित शेयरों के 5 गुना तक सीमित है;

(18) **"सदस्य"** से अभिप्रेत वह व्यक्ति है, जिसे अधिनियम, नियमों और उपनियमों के अनुसरण में सोसाइटी में सदस्य के रूप में प्रवेश दिया गया हो;

(19) **"नाबार्ड"** से अभिप्रेत नाबार्ड अधिनियम, 1981 द्वारा गठित राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है;

(20) **"नोमिनल सदस्य"** से वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे अधिनियम, नियमों एवं उपनियमों के प्रावधानों के अनुसार किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए नोमिनल सदस्य के रूप में सोसाइटी की सदस्यता में शामिल किया गया हो और उसे मतदान का अधिकार नहीं होगा;

(21) **"पदाधिकारी"** से, किसी सहकारी सोसाइटी का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अभिप्रेत है और इसमें किसी सहकारी सोसाइटी के संचालक मण्डल द्वारा निर्वाचित किया जाने वाला कोई भी अन्य व्यक्ति सम्मिलित है;

(22) **"व्यक्ति"** से वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसकी आयु 18 वर्ष से कम न हो;

(23) **"अध्यक्ष"** से वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे अधिनियम, नियमों और उपनियमों के प्रावधानों के अनुसरण में निर्वाचित किया गया हो और जो सोसाइटी और इसके सदस्यों के समग्र विकास, सोसाइटी के नीति निर्णयों के कार्यान्वयन और सोसाइटी द्वारा सहकारिता अधिनियम, नियमों एवं उपनियमों के विधिवत् अनुपालन के लिए जिम्मेदार होगा;

(24) **"पेशेवर संचालक"** से वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे खाद्य तकनीक, वित्त, प्रबंधन, बैंककारी, सूचना प्रौद्योगिकी, विधि, कृषि, सहकारिता, प्रबंधन के क्षेत्र का या सोसाइटी के कार्यकलापों से संबंधित किसी अन्य विशेषीकृत क्षेत्र का विशेषज्ञ होने के नाते, जो सोसाइटी के व्यावसायिक कार्यकलापों और मामलों में मागदर्शन और सलाह देने को इच्छुक हो, सोसाइटी द्वारा बिना मतदान के अधिकार के संचालक के रूप में संचालक मण्डल में सहयोजित किया गया हो;

(25) **"आरबीआई"** से आरबीआई अधिनियम,1934 द्वारा गठित भारतीय रिजर्व बैंक अभिप्रेत है;

(26) **"रजिस्ट्रार"** से राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 के अनुसार रजिस्ट्रार के कार्यों का निष्पादन करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त सहकारी सोसाइटियों का रजिस्ट्रार अभिप्रेत है और इसमें वह व्यक्ति भी शामिल है जिसे रजिस्ट्रार की सहायता करने और रजिस्ट्रार की सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने के लिए नियुक्त किया गया हो;

(27) **"नियम"** से राजस्थान सहकारी सोसाइटी नियम, 2003 अभिप्रेत है;

(28) **"मुहर"** से अभिप्रेत सोसाइटी की साधारण मुहर उसके गठन के वर्ष के साथ है;

(29) **"सोसाइटी"** से यह सहकारी सोसाइटी अभिप्रेत है;

(30) **"उपसमिति"** से अभिप्रेत उपनियमों के अनुसार संचालक मण्डल द्वारा किसी विशेष/विशिष्ट कार्य के उद्देश्य से एक विशिष्ट अवधि के लिए गठित उपसमिति से है, चाहे इसे किसी भी नाम से पुकारा जाए;

(31) **"उपाध्यक्ष"** से वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे अधिनियम, नियमों एवं उपनियमों के प्रावधानों के अनुसरण में निर्वाचित किया गया हो, जो अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा;

(32) **"विशेष संकल्प"** से सोसाइटी की साधारण सभा का ऐसा संकल्प अभिप्रेत है, जिसे, मत देने का अधिकार रखने वाले सदस्यों के पचास प्रतिशत से अधिक और बैठक, जिसमें उसे पारित किया गया है, में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो–तिहाई से अन्यून (Not less than) सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त है।

अध्याय II
उद्देश्य एवं सेवाएं

5. सोसाइटी के उद्देश्यः—

सोसाइटी के उद्देश्य निम्नानुसार होंगेः—

(1) इस सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य अपने कार्यक्षेत्र के कृषकों, कमजोर वर्ग के लोगों, लघु एवं सीमान्त कृषकों, ग्रामीण दस्तकारों एवं कृषि श्रमिकों की सहायता एवं उनकी आर्थिक उन्नति करना है। यह कार्य सघन ऋण एवं अन्य सेवायें उपलब्ध कराकर एवं नियोजन, उत्पादन एवं आय में अभिवृद्धि की सुविधा देकर तथा उपभोक्ता सामग्री के वितरण की सेवा उपलब्ध करवाकर कराया जाएगा।

(2) मुख्य उद्देश्य की प्राप्ति हेतु सोसाइटी निम्न में से किन्हीं एक या अधिक कार्यों का संचालन कर सकेगी एवं अपने क्रियाकलापों का समन्वय, क्षेत्र की अन्य सोसाइटियों के साथ कर सकेगी, एवं जहां कहीं भी आवश्यक हो, उनके एजेन्ट के रूप में कार्य कर सकेगी—

(क) कार्यक्षेत्र में वित्तीय मानदंडों का अनुरक्षण करते हुए (जैसे ऋण योग्यता और दिए गए ऋण की सुरक्षा) RBI या राज्य सरकार और इसके संगठनों द्वारा स्वीकृत/समर्थित किन्हीं वित्तीय संस्थानों से शेयर पूंजी, जमाराशि और उधार के माध्यम से अपने सदस्यों को कृषि और कृषि उत्पादों से संबंधित खेती पूर्व व उसके बाद के कार्यकलापों के लिए समय पर और पर्याप्त अल्पकालीन और मध्यमकालीन ऋण, कृषि प्रयोजन के लिए ट्रैक्टरों की खरीद जैसे वाहन ऋण, उपभोग या वस्तुओं/बॉन्ड/प्रतिभूतियों आदि जैसे संपार्श्विक (Collateral)/प्रतिज्ञा (Pledge) वित्तपोषण के विरुद्ध चिकित्सा प्रयोजन के लिए ऋण प्रदान करना;

(ख) वित्तपोषण बैंक/कृषि और ग्रामीण विकास बैंक/जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/राज्य और केन्द्रीय सरकार के वित्तीय संस्थानों की स्वीकृति के पश्चात् दीर्घकालीन ऋण प्रदान करना;

(ग) पश्चगामी लिंकेज (Backward Linkages) (जैसे प्रदर्शन भूखंड, सिंचाई सुविधाएं, खाद, उर्वरक, उन्नत बीज/बीज उत्पादन, कस्टम हायरिंग केन्द्र, कृषि मशीनरी/उपकरण, कीटनाशक और अन्य उत्पादन संबंधी इनपुट इत्यादि) और अग्रगामी लिंकेज (Forward Linkages) [जैसे संग्रहण, श्रेणीकरण, सफाई, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और विपणन, भंडारण (गोदाम व शीतागार), प्रसंस्करण, मूल्य श्रृंखला (परिवहन, लॉजिस्टिक्स, प्रशीतित वैन (Refrigerated Van), आदि)] का प्रोत्साहन और विकास करके सोसाइटी के कार्यक्षेत्र में सदस्यों को कृषि पैदावार और उसके उत्पाद (जैसे फसलों, फल व सब्जियों, पुष्पकृषि, डेयरी कार्यकलापों, मात्स्यिकी/झींगा खेती, पोल्ट्री, मधुमक्खीपालन, रेशम उत्पादन, बागानी फसल, भेड़, बकरी, खरगोश, सूवर पालन और अन्य कोई भू/जलीय आधारित कृषि संबंधित कार्यकलाप और उनका प्रसंस्करण) में तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करना;

(घ) सोसाइटी और उसके सदस्यों के लाभ के अपने उद्देश्य की प्राप्ति हेतु किसी भी स्थानीय निकाय/सरकार/विभाग/सोसाइटी/कंपनी के साथ सुगम व्यवस्था या सहयोग करना;

(ङ) सेवा या व्यावसायिक कार्य, जैसे अवसंरचना (Infrastructure) विकास, सामुदायिक केन्द्र, अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, खाद्यान्नों का प्रापण (Procurement), उचित मूल्य दुकान, या कोई सरकारी योजना, डीलरशिप/एजेंसी/ डिस्ट्रिब्यूटरशिप या एलपीजी/पेट्रोल/ डीजल/ हरित ऊर्जा/कृषि या घरेलू उपभोग्य या टिकाऊ वस्तुओं/कृषि मशीनरी, कौशल विकास हेतु सदस्यों का प्रशिक्षण आदि में शामिल होना जिससे सोसाइटी या इसके सदस्यों की सुविधाओं और आय में वृद्धि सुनिश्चित हो सके;

(च) जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक की अनुमति से लॉकर सुविधा स्थापित करना या उसकी व्यवस्था करना;

(छ) कार्यक्षेत्र के सभी सदस्यों और गैर सदस्यों की सामाजिक, आर्थिक, वित्तीय और व्यवसाय संबंधी सूचना एकत्र करना जिससे कृषि योजना और संबंधित व्यवसाय योजना या विकास योजना के लिए नीति अवसंरचना (Policy Framework) सुदृढ़ हो सके और जो कार्यक्षेत्र के सभी हितधारकों के लिए लाभकारी हो;

(ज) सोसाइटी और उसके सदस्यों की आय में वृद्धि के लिए कृषि और उससे संबद्ध कार्यकलापों का प्रदर्शन, संवर्धन और नवीनतम प्रौद्योगिकी या विस्तारित कार्यकलापों का विकास;

(झ) अपने सदस्यों और उनके परिवारों (विशेषकर युवाओं और महिलाओं) तथा प्रबंधन व स्टाफ को सहकारी सिद्धांतों, मूल्यों और आचरणों की शिक्षा देना जिससे कार्यक्षेत्र के सभी हितधारकों में प्रशिक्षण, एक्सपोज़र दौरे या क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से सामाजिक सद्भाव और आर्थिक लाभ को बढ़ावा मिलेगा;

(ञ) वित्तीय/बैंककारी संस्थानों के लिए एजेंट या बैंक मित्र/व्यावसायिक अभिकर्ता/व्यावसायिक सुगमकर्ता के रूप में कार्य करना;

(ट) सदस्यों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना के कार्यान्वयन हेतु तथा माइक्रो बीमा/बीमा प्रदान करने के लिए एजेंसी के रूप में कार्य करना;

(ठ) कार्यक्षेत्र में सहकार आधारित कार्यकलापों में युवाओं व महिलाओं के समावेशन पर ध्यान केन्द्रित करना व प्रोत्साहित करना;

(ड) सदस्यों को शिक्षा (विद्यालय, महाविद्यालय), स्वास्थ्य (अस्पताल, डिस्पेंसरी, नैदानिक (Clinical) प्रयोगशाला, एम्बुलेंस सेवा), पर्यटन और पर्यावरण के क्षेत्र में तथा संधारणीय विकास (Sustainable Development) कार्यकलापों में समुदाय आधारित सेवा प्रदान करना;

(ढ) कार्यक्षेत्र में लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से सरकारी योजनाओं के तहत सेवाएं प्रदान करने में सहभागी होना;

(ण) विभिन्न प्रयोजनों के लिए सरकार द्वारा उपयोग हेतु सूचना/डेटा केन्द्र के स्रोत के रूप में कार्य करना;

(त) सोसाइटी के कार्यक्षेत्र में ऑनलाइन/डिजीटल सेवाओं को सुगम बनाने के लिए कॉमन सेवा केन्द्र (CSC) के रूप में कार्य करना;

(थ) सोसाइटी के सदस्यों के लाभ के लिए अपने कार्यक्षेत्र के बाहर विपणन और समतुल्य कार्यकलाप करना;

(द) भूमि, भवन, गोदाम, प्रसंस्करण इकाई और ऐसे अन्य आवश्यक आस्तियों का स्वामित्व प्राप्त करना;

(ध) कृषि आदान जैसे खाद, बीज, उपकरण, पशुचारा एवं कीटनाशक औषधि आदि, मत्स्य उत्पादन, कच्चा माल, मशीन उपकरण, उपभोक्ता आवश्यक सामग्री इत्यादि को सदस्यों द्वारा प्रस्तावित व संचालित कृषि उत्पादन एवं लघु उद्योगों एवं घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये सामग्री संग्रह, क्रय एवं वितरण करना;

(न) अपने सदस्यों की कृषि उपज, दुग्ध, पशुपालन, मत्स्य आदि तथा कुटीर, लघु उद्योगों के उत्पादन आदि का संग्रह, क्रय एवं विक्रय परोक्ष रूप से या सहकारी क्रय–विक्रय सोसाइटियों के या अन्य एजेन्सियों के माध्यम से करना;

(प) कृषि सेवा कार्यक्रमों के लिये कृषि यंत्र स्वयं क्रय करके या किराये पर लेकर संचालित करना अथवा ट्रैक्टर, पावर ट्रिलर, बुलडोजर, थ्रेसर, आरा मशीन आदि सदस्यों के हितार्थ कृषि कार्यक्रम सेवा केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध कराना;

(फ) सदस्यों के पशु समुदाय की उन्नति एवं सेवा हेतु स्वयं बीजशाला (Sperm Bank), भेड़पालन, सुअर पालन आदि कार्य करना या चलाना या उसकी व्यवस्था हेतु आवश्यक प्रावधान करना तथा आदर्श डेयरी का संचालन करना या उसमें सहयोग देना;

(ब) सड़क निर्माण, कुंए की खुदाई, भवन, तालाब एवं नहर का निर्माण एवं भूमि सुधार, सिंचाई कार्य, लकड़ी, चारा व अन्य वन उपज को संग्रह करने हेतु ठेका लेना व अन्य कार्य सरकार, स्थानीय निकाय या व्यक्तियों से संविदा करके लेना एवं उन्हें सदस्यों की सहायता से पूरा करना, जिससे मौसमी नियोजन किया जा सके;

(भ) उपविधियों के अंतर्गत उल्लिखित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु आवश्यकतानुसार शाखा, डिपो, बिक्री केन्द्र, शोरूम व कार्यशाला खोलना;

(म) राजस्थान स्टेट को–ऑपरेटिव बैंक लि0, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक, सहकारी क्रय विक्रय सोसाइटी, सहकारी होलसेल भण्डार, सहकारी प्रोसेसिंग सोसाइटी, जिसका क्षेत्राधिकार सोसाइटी के कार्यक्षेत्र में हो, की सदस्यता ग्रहण करना तथा स्वयं अथवा उनके अभिकर्ता के रूप में ऋणों का वितरण, उसकी वसूली या उपभोक्ता सामग्री व कृषि आदान का वितरण या कृषि उपज की बिक्री या दुग्ध, अण्डे आदि जैसे व्यावसायिक उत्पादन बिक्री हेतु जैसी भी स्थिति हो, कार्य करना;

(य) सामान्यतया ऐसे अन्य कार्यों को करना, जो सदस्यों के आर्थिक हित व क्षेत्र के सम्पूर्ण विकास के लिये एवं उपरोक्त वर्णित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सहायक हो;

(र) सोसाइटी अपने सदस्यों की कृषि उपज की सुरक्षा के लिए अपने स्वयं के गोदाम का निर्माण करने अथवा अन्य उपयुक्त स्थानों पर किराये पर लेने की व्यवस्था कर सकेगी, जिससे कि उनकी बिक्री लाभदायक मूल्य पर हो सके। इन गोदाम में अपने सदस्यों का उत्पादित माल, जो ऋण के

बदले सोसाइटी में बंधक किया गया हो, अथवा बिना ऋण दिये माल को भी रखा जा सकेगा। इस रखे गये माल का उचित किराया समय समय पर संचालक मण्डल द्वारा निर्धारित दर पर लिया जावेगा। बंधक में रखे गये माल के बीमा का प्रबन्ध माल रखने वाले व्यक्ति द्वारा किया जावेगा;

6. सोसाइटी की सेवाएंः–

सोसाइटी के उपर्युक्त उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए वे सेवाएं या व्यावसायिक सुविधाएं जिनमें सोसाइटी अपने आप को संलिप्त कर सकती हैं, निम्नानुसार हैः–

(1) अपने सदस्यों की सहायता के लिए कृषि पैदावार और उसके उत्पादों के लिए पश्चगामी (Backward) व अग्रगामी (Forward) लिंकेज संबंधी कोई कार्यकलाप;

(2) कृषि उत्पादन और उसके प्रसंस्करण, सदस्यों की अपेक्षित घरेलू उपभोग के आधार पर संबंधित प्राधिकारी की आवश्यक विनियामक (Regulatory) स्वीकृति के अध्यधीन ऋण सुविधाएं;

(3) सहायक इकाईयों के लिए आस्ति सृजन या व्यवस्था या स्थापना जो सोसाइटी और उसके सदस्यों के लिए उत्पादन, एकत्रीकरण, प्रसंस्करण और उत्पाद विपणन में लाभदायी हो;

(4) स्थाई उपभोक्ता वस्तुओं की आपूर्ति जैसी सेवाओं या व्यावसायिक प्रचालनों में संलिप्त होना, आदि;

(5) अनुसंधान, प्रोत्साहन, अभिनव तकनीकी का प्रदर्शन और विस्तारण (Extension) कार्य (मृदा और कृषि उत्पाद परीक्षण शामिल) तथा उससे संबद्ध कार्यकलाप;

(6) जागरुकता, क्षमता निर्माण कार्यक्रम, कौशल विकास, मेला और प्रदर्शनी या कोई विस्तारण संबधी कार्य;

(7) राजस्थान सरकार के आवश्यक अनुमोदन से सरकारी विभागों/ विश्वविद्यालयों/स्टार्टअप्स/सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उपक्रमों और उनके संबद्ध/बहुपक्षीय एजेंसियों के साथ सहकार्यता, जो सोसाइटी और उसके सदस्यों के लिए लाभदायी हों;

(8) जहां तक संभव हो ऑनलाइन तरीके से सेवाएं प्रदान करना तथा अपनी वेबसाइट का अनुरक्षण (Maintain);

(9) उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अनिवार्य और अपेक्षित अन्य व्यवसाय या वित्तीय सहयोग;

अध्याय III
सदस्यता

7. **सदस्यताः—**

(1) **सदस्यता के प्रकारः** सोसाइटी में दो प्रकार की सदस्यता होगीः—
''ए''—श्रेणी सदस्यः— 'ए' श्रेणी के सदस्य, सोसाइटी के शेयर धारक हैं जो उपनियमों द्वारा प्रदान किए गए सभी अधिकारों का प्रयोग करेंगे।
''बी''—श्रेणी सदस्यः— 'बी' श्रेणी के सदस्य, सोसाइटी के नोमिनल सदस्य हैं।

(2) **''ए'' श्रेणी सदस्यता की पात्रताः—**

कोई भी व्यक्ति, जो अधिनियमानुसार सदस्यता की पात्रता रखता हो और जो कृषक, लघु कृषक, सीमान्त कृषक या कृषि श्रमिक अथवा पशुपालक हो या ग्रामीण दस्तकार हो (जैसा कि इन शब्दों को राजस्थान सरकार द्वारा परिभाषित किया गया है) इस सोसाइटी के कार्यक्षेत्र का निवासी हो **अथवा उसकी कृषि भूमि इस सोसाइटी के कार्यक्षेत्र में हो,** व्यक्तिगत सदस्य के रूप में प्रवेश के योग्य होगा। सदस्य के रूप में प्रवेश एवं हिस्सों के आवंटन के लिये प्रार्थना पत्र सोसाइटी को निर्धारित प्रपत्र में, सौ रूपये मूल्य के कम से कम 5 शेयरों के मूल्य के साथ प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र के आधार पर अधिनियम एवं नियमों में निर्धारित प्रक्रियानुसार आवेदक को सदस्यता प्रदान की जाएगी। ऐसे सदस्य ''ए'' श्रेणी के सदस्य होंगे।

निम्नलिखित व्यक्ति ''ए'' श्रेणी सदस्य होंगे बशर्ते कि वे पात्रता शर्तों को पूरा करते होंः—

(क) सोसाइटी के पंजीकरण के समय इसके प्रोमोटर;
(ख) वह व्यक्ति जो, उक्त पात्रताएं रखता हो तथा नियमानुसार आवेदन के पश्चात् निर्धारित प्रक्रिया से सदस्य के रूप में शामिल किया गया हो;
(ग) किसी अन्य पंचायत / गांव में किसी अन्य बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्राम सेवा सहकारी सोसाइटी लि. का सदस्य न हो; (यदि पंचायत / गांव में बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्राम सेवा सहकारी सोसाईटी नहीं है तो रजिस्ट्रार की स्वीकृति से सदस्य नजदीकी बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्राम सेवा सहकारी सोसाइटी का लाभ ले सकता है);
(घ) राज्य सरकार, अन्य सहकारी संस्था, जनजातीय क्षेत्र में जनजाति क्षेत्रीय विकास संघ;

(3) **''बी'' श्रेणी सदस्यता की पात्रता व अन्य शर्तेंः—**

(क) ऐसा व्यक्ति जो सोसाइटी के साथ व्यावसायिक संबंध रखना चाहता हो, उसे 10 रूपए के प्रवेश शुल्क के भुगतान द्वारा, जो गैर—वापसी योग्य

होगा और जिसे सोसाइटी की रिजर्व निधि में जमा किया जाएगा, नोमिनल सदस्य के रूप में प्रवेश दिया जाएगा।

(ख) स्वयं सहायता समूह (SHG)/संयुक्त देयता समूह (JLG)/किसान हित समूह इत्यादि को सोसाइटी के नोमिनल सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा।

परन्तु इनको रजिस्ट्रार के पूर्व अनुमोदन के बिना नोमीनल सदस्य के रूप में शामिल नहीं किया जाएगा।

(ग) भारत में किसी अधिनियम के तहत पंजीकृत किसी संगठन को केवल व्यावसायिक प्रयोजन के लिए नोमिनल सदस्य के रूप में प्रवेश दिया जाएगा।

परन्तु इनको रजिस्ट्रार के पूर्व अनुमोदन के बिना नोमीनल सदस्य के रूप में शामिल नहीं किया जाएगा।

(घ) नोमिनल सदस्यों को किसी बैठक में भाग लेने, सोसाइटी के मामले में मतदान करने का अधिकार नहीं होगा और वे सोसाइटी के लाभांश के हकदार नहीं होंगे।

(ङ) नोमिनल सदस्य सोसाइटी के संचालक मण्डल के सदस्य का चुनाव नहीं लड़ सकते।

(च) कोई नोमिनल सदस्य जो अपनी निजी क्षमता में या जमानतदार या गारंटर के रूप में सोसाइटी का ऋणी है, वह तब तक ऐसा सदस्य बना रहेगा जब तक कि सोसाइटी के प्रति उसकी देनदारी पूरी तरह से समाप्त न हो जाए।

(छ) ऐसे नोमिनल सदस्यों को कोई शेयर प्रमाणपत्र जारी नहीं होगा परंतु सोसाइटी में एक अलग रजिस्टर रखा जाएगा जिसमें उसकी सदस्यता के साक्ष्य के तौर पर उसके हस्ताक्षर और पूरा पता दर्ज होगा।

(4) सदस्यों की अपात्रता या अयोग्यताः–

सोसाइटी के सदस्य के रूप में प्रवेश या उसका सदस्य बने रहने के लिए ऐसा व्यक्ति पात्र नहीं होगा और/या उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी यदिः–

(क) उसे नैतिक अधमता (Moral Turpitude) के लिए सजा सुनाई गई हो तथा ऐसी सजा को पलटा नहीं गया हो;

(ख) उसके किसी अपराध से दण्डित होने संबंधी अधिनियम की धारा 28(8)(i) अथवा 28(8)(ii) में वर्णित निर्योग्यताओं से ग्रस्त होने पर;

(ग) वह दिवालिया या घोषित दिवालिया हो;

(घ) उसे किसी सहकारी सोसाइटी द्वारा निष्कासित किया गया हो, ऐसे निष्कासन की तारीख से 1 वर्ष की अवधि के भीतर;

(ङ) वह सोसाइटी के संचालक मण्डल द्वारा समय समय पर लिए गए निर्णयानुसार योगदान, अंशदान, यदि कोई हो, सहित किसी बकाए

भुगतान का चूककर्ता हो और भुगतान के नोटिस की प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर भुगतान न किया हो;

(च) वह अस्वस्थ चित्त का हो;

(छ) वह ऋण देने के व्यवसाय में हो;

(ज) वह किसी अन्य सोसाइटी का सदस्य हो जो इस सोसाइटी के समान सेवाएं प्रदान करती हैं;

(झ) वह किसी भी सहकारी सोसाइटी का ऋण या उधार का चूककर्ता हो;

(ञ) वह सोसाइटी की सेवाओं का न्यूनतम आवश्यक उपयोग करने के संबंध में विफल रहा हो;

(ट) साधारण सभा की बैठक में लगातार तीन वर्ष तक किसी भी युक्तियुक्त कारण के बिना उपस्थित नहीं हुआ हो;

(ठ) जो अपने देयों का संदाय करने में बार–बार व्यतिक्रम कर रहा हो;

(ड) जिसने सोसाइटी को बदनाम किया हो या ऐसा अन्य कार्य किया हो जो सोसाइटी के हितों के विरूद्ध हो;

(ढ) वह अधिनियम अथवा नियमों के प्रावधानों के अनुसार कोई अन्य अयोग्यता रखता हो;

(ण) वह सोसाइटी के कारोबार के विरूद्ध या प्रतिस्पर्धा में कारोबार करता हो;

(त) यदि उसके विरूद्ध धारा 57 के अधीन कोई आदेश पारित किया गया हो; (ऐसा आदेश अपास्त न किये जाने की स्थिति में, ऐसी तारीख से, जिसको वह धन या अन्य सम्पत्ति या उसके भाग का ब्याज सहित प्रति–संदाय या प्रत्यावर्तन करता है या ऐसे आदेश कि तुष्टि में अभिदाय और खर्चे या प्रतिकर का संदाय करता है, पांच वर्ष की कालावधि की समाप्ति तक संचालक मण्डल के सदस्य के रूप में निर्वाचन, सहयोजन या नामनिर्देशन का पात्र नहीं होगा।)

(5) सदस्यता की प्रक्रियाः–

(क) कोई भी व्यक्ति जो सोसाइटी का सदस्य बनने का इच्छुक है, उपनियमों के अनुसार 10/– रूपये का शुल्क देकर आवेदन प्रपत्र प्राप्त कर सकता है और सोसाइटी के व्यवस्थापक को विधिवत् भरा हुआ आवेदन प्रपत्र 5 शेयरों के मूल्य 500/– रूपये सहित जमा करा सकता है;

(ख) सोसाइटी में नए सदस्यों को जोड़ने के लिए KYC अनिवार्य है। सदस्यता के लिए आवेदन ऑनलाइन भी किया जा सकता है;

(ग) व्यवस्थापक अंतिम निर्णय हेतु आवेदन फॉर्म को संचालक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करेगा जो आवेदन प्राप्ति की तारीख से अधिकतम 30 दिन की अवधि के अंदर उस पर निर्णय करेगा;

(घ) संचालक मण्डल अपनी बैठक आयोजित कर आवेदन की तिथि से 30 दिनों के अंदर आवेदक को सदस्यता देने पर निर्णय करेगा और संचालक मण्डल के निर्णय से इसी अवधि में व्यवस्थापक, आवेदक को सूचित करेगा और यदि आवेदक को सदस्यता की अनुमति मिल जाती है तो उससे संचालक मण्डल द्वारा निर्दिष्ट आवश्यक दस्तावेज जैसे पहचान, निवास, भूमि जोत के साक्ष्य, अनौपचारिक समूह/अन्य सहकारी सोसाइटी के संकल्प आदि जमा करने का आग्रह करेगा जिसे जमा करने पर आवेदक को सोसाइटी के सदस्य के रूप में प्रवेश दिया जाएगा;

(ङ) सदस्यता से मना किये जाने पर आवेदक को उक्त प्रकार ही 30 दिनों के भीतर व्यवस्थापक द्वारा सूचित किया जायेगा और अधिनियम एवं नियम के अनुसार इसकी अपील की जा सकेगी;

(च) सदस्यों को सहकारिता मूल्यों, सिद्धांतों और उनके अधिकार और दर्शन तथा सोसाइटी में उपलब्ध सेवाओं/सुविधाओं व लाभ के बारे में प्रतिवर्ष शिक्षित किया जाएगा;

(6) सदस्यों द्वारा शेयर अभिदानः–

ए–श्रेणी का सदस्य बनने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को सोसाइटी के न्यूनतम पांच शेयर (प्रति शेयर 100/– रुपए) कुल 500/– रुपए का अभिदान करना होगा। सदस्य को प्रवेश करने के समय 10/– का प्रवेश शुल्क का भुगतान करना होगा जो गैर–प्रत्यर्पणीय (Non Refundable) होगा।

(क) शेयर

(i) सोसाइटी में दो प्रकार के शेयर होंगे। 'ए' श्रेणी के एक शेयर का मूल्य 100/–रूपये होगा और प्रत्येक सदस्य को न्यूनतम 5 शेयर अर्थात् कुल 500/– रूपये का अभिदान करना होगा। 'बी' श्रेणी के शेयर का मूल्य 1000/–रूपये होगा जो 'बी' श्रेणी के सदस्यों द्वारा क्रय किये जा सकेंगे।

किन्तु शर्त यह है कि राज्य सरकार सोसाइटी की कुल शेयर पूंजी में से 25 प्रतिशत से अधिक मूल्य के शेयर धारित नहीं करेगी। इसके अतिरिक्त यह भी कि सरकार के पास अपनी शेयर पूंजी को और घटाने का विकल्प होगा।

(ii) संचालक मण्डल द्वारा निर्धारित किये जाने पर 'ए' श्रेणी के शेयरों के मूल्य का भुगतान किश्तों में किया जा सकता है, किन्तु किश्तों में भुगतान कमजोर वर्ग के सदस्यों से ही लिया जाएगा और शेयरों की पूर्ण राशि एक वर्ष में दो बराबर किश्तों में वसूल की जाएगी।

(iii) संचालक मण्डल द्वारा आवंटित कर दिये जाने पर 'बी' श्रेणी के शेयरों का मूल्य एकमुश्त लिया जाएगा।

(iv) सोसाइटी के समक्ष 'बी' श्रेणी के शेयरों को लौटाए जाने का विकल्प उपलब्ध रहेगा।

(ख) सदस्यों द्वारा शेयरों का धारण और प्रतिबन्ध

(i) प्रत्येक ''ए'' श्रेणी के सदस्य को अपने कम से कम 5 शेयर का धारक होना आवश्यक होगा, किन्तु कोई भी सदस्य सोसाइटी की संपूर्ण शेयर पूंजी के 1/5 भाग से अधिक शेयरों में न तो कोई हित ही रखेगा और न उसके संबंध में दावा ही करेगा। ''बी'' श्रेणी के सदस्य को एक शेयर क्रय करना होगा।

(ii) प्रत्येक व्यक्ति जिसे 'ए' श्रेणी के शेयरों का आवंटन किया गया है उसे शेयर प्रमाणपत्र प्राप्त करने का हक होगा जिसमें उसे आवंटित शेयरों और उसके द्वारा किए गए भुगतान की राशि का विवरण उल्लिखित होगा;

(iii) प्रत्येक शेयर प्रमाणपत्र सोसाइटी के अध्यक्ष और व्यवस्थापक द्वारा हस्ताक्षरित होगा;

(iv) सोसाइटी शेयरों का एक रजिस्टर अनुरक्षण करेगी जिसमें अपने सदस्यों को समय समय पर जारी/हस्तांतरित शेयरों का रिकार्ड और सोसाइटी में प्रत्येक सदस्य के पास उपलब्ध शेयर पूंजी की राशि को दर्शाया जाएगा;

(v) सोसाइटी को सदस्यों के बकाया ऋणों या उनसे वसूली योग्य किसी अन्य देनदारी पर शेयर राशि और उस पर अर्जित लाभांश को समायोजित करने का अधिकार होगा। यह सिद्धांत पूर्व सदस्यों और मृत सदस्यों पर भी लागू होगा;

(vi) सोसाइटी को अधिकार होगा कि वह सोसाइटी के पूंजी आधार को सुदृढ़ करने के लिए साधारण सभा में पारित विशेष संकल्प से अर्जित लाभांश का उपयोग करने का निर्णय कर उसका तदनुसार उपयोग करें;

(vii) सोसाइटी द्वारा घोषित किए जाने वाले लाभांश की दर को साधारण सभा की बैठक में निर्धारित किया जायेगा परन्तु यह अधिनियम व नियम में वर्णित प्रावधानानुसार होगा;

(7) सदस्य के अधिकारः–

(क) **'ए' श्रेणी सदस्यः** प्रत्येक 'ए' श्रेणी सदस्य के निम्नलिखित अधिकार होंगेः–

(i) सोसाइटी की साधारण सभा में उपस्थित होना, प्रतिभाग (Participate) और मतदान करना;

(ii) वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा का नियमानुसार अवलोकन करना;

(iii) निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संचालक मण्डल के सदस्यों का चुनाव करना और यदि योग्य हो तो संचालक मण्डल के लिए चुनाव लड़ना बशर्ते कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन पहले या गत वित्त वर्ष में, जैसा प्रावधानित हो, सोसाइटी का पात्र सदस्य हो;

(iv) सोसाइटी द्वारा प्रदत्त सेवाओं/सुविधाओं या अवसंरचनात्मक (Infrastructural) सहयोग का उपभोग करना;

(v) संचालक मण्डल या साधारण सभा में समय–समय पर निर्धारित शर्तों के अनुसार ऋण लेना या सोसाइटी की सुविधाओं का उपभोग करना;

(vi) सोसाइटी में अपने लेखों की निःशुल्क जांच और 2/– रूपये प्रति पृष्ठ शुल्क का भुगतान कर उसकी एक प्रति लेना;

(vii) वार्षिक प्रतिवेदन, परीक्षित लेखा विवरणियाँ, लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, आंतरिक निरीक्षण, जांच प्रतिवेदन और अनुपालना प्रतिवेदन का अवलोकन;

(viii) साधारण सभा की बैठकों और संचालक मण्डल की बैठकों से संबंधित कार्यवाही से संबंधित कार्यवृत्त पुस्तिका/बही की एक प्रति नियमानुसार प्राप्त करना;

(ix) अधिनियम, नियमों और सोसाइटी के उपनियमों की प्रति नियमानुसार शुल्क देकर प्राप्त करना;

(x) किसी भी प्रशासनिक जांच या विशेष लेखा परीक्षण प्रतिवेदन की प्रतियों का निरीक्षण करना; और

(xi) नियमानुसार लाभांश प्राप्त करना।

अधिनियम की धारा 113 तथा नियम 111 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ही रिकॉर्ड का अवलोकन किया जा सकेगा और प्रतियाँ ली जा सकेगी।

(ख) **''बी'' श्रेणी सदस्य (नोमिनल सदस्य)**:– प्रत्येक नोमिनल सदस्य के निम्नलिखित अधिकार होंगे:–

(i) सोसाइटी द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों पर सोसाइटी द्वारा प्रदत्त गैर–कृषि ऋण और अन्य गैर–ऋण सुविधाएं प्राप्त करना;

(ii) सोसाइटी के कार्यक्षेत्र के अंदर या बाहर परस्पर निर्णीत नियम व शर्तों पर उनकी स्वामित्व की सुविधाएं करना जिससे सोसाइटी और उसके सदस्यों को लाभ हो।

(8) सदस्य के कर्तव्यः–

(क) सोसाइटी की सदस्यता में प्रवेश से पूर्व प्रत्येक सदस्य को एक घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करना होगा कि वह उपनियमों के प्रावधानों को पढ़कर समझ चुका है और वह सोसाइटी के उपनियमों, अधिनियम व नियम द्वारा बाध्य है।

(ख) ऐसा सदस्य जो पंजीकरण आवेदन के साथ ही सदस्यता प्राप्त करता हो, को सोसाइटी के पंजीकरण के एक माह के अंदर ऐसे घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा।

(ग) किसी सदस्य द्वारा तब तक सदस्यता के अधिकार का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा जब तक कि वह उपर्युक्त संदर्भित घोषणापत्र पर हस्ताक्षर न कर दे और उसके द्वारा प्रवेश शुल्क और अभिदत्त न्यूनतम आवश्यक शेयरों के संपूर्ण मूल्य का भुगतान न कर दिया जाए।

(घ) हर एक सदस्य को प्रतिज्ञा–पत्र पर इस बात के लिए हस्ताक्षर करने होंगे कि वह सोसाइटी के उपनियमों व नियमों का पालन करेगा तथा सोसाइटी की सेवाओं का उपयोग करने के संबंध में रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानदण्ड, यदि कोई हों, की पालना करेगा।

(ङ) 'अ' श्रेणी के सदस्यों द्वारा राज्य सरकार को छोड़कर, अपनी सदस्यता संबंधी अधिकारों का प्रयोग तब तक नहीं किया जा सकेगा, जब तक कि उनके द्वारा संस्था की सेवाओं का न्यूनतम उपयोग करने के संबंध में रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार पात्रता अर्जित नहीं कर ली गई हो।

(9) सदस्यों की देनदारीः–

सोसाइटी के परिसमापन/विघटन की स्थिति में सोसाइटी का 'ए' श्रेणी सदस्य संयुक्त रूप से या अलग से सोसाइटी की आस्तियों के घाटे के अंशदान के लिए देनदार होगा जो उसके द्वारा भुगतान की गई अभिदत्त शेयर पूंजी के 5 गुना तक सीमित होगा।

सोसाइटी के परिसमापन/विघटन होने की दशा में राज्य सरकार का दायित्व सोसाइटी की देनदारियों के भुगतान हेतु उसके द्वारा भुगतान की गई शेयर पूंजी तक ही सीमित होगा।

(10) सदस्यता से वापसी तथा त्यागपत्रः–

(क) किसी भी सदस्य को उसके द्वारा सोसाइटी में शेयरों को वापस लेने की या सोसाइटी की सदस्यता से त्यागपत्र देने की अनुमति सदस्य के रूप में प्रवेश दिये जाने की तारीख से दो वर्ष के भीतर नहीं दी जाएगी।

(ख) खण्ड (1) में उल्लिखित समय के पश्चात् कोई सदस्य संचालक मण्डल की अनुमति से सदस्यता से त्यागपत्र दे सकता है, किन्तु प्रथमतः उस पर सोसाइटी का कोई ऋण बकाया नहीं हो एवं द्वितीय वह सोसाइटी द्वारा दिये गये किसी भी ऋण के लिये, जिसमें वह जमानतदार है, बकाया नहीं हो।

(ग) जो सदस्य सोसाइटी की सदस्यता से अपना त्यागपत्र देना चाहे, वह अपना त्यागपत्र उस सोसाइटी के व्यवस्थापक को प्रेषित करेगा। उसका त्यागपत्र उसी तिथि से प्रभावी होगा, जिस तिथि को संचालक मण्डल द्वारा वह स्वीकार कर लिया जाता है। शेयर पूंजी की वापसी उसके त्यागपत्र के वर्ष के अंकेक्षित लाभ–हानि खाते एवं संतुलन चित्र के आधार पर ही की जाएगी एवं तदनुसार शेयर का वास्तविक मूल्य आंका जाकर घोषित लाभांश सहित लौटाया जाएगा। किसी एक वर्ष में सोसाइटी की शेयर पूंजी का मूल पुनः भुगतान सिवाय रजिस्ट्रार की पूर्व अनुमति के ठीक पूर्ववर्ती वर्ष के अंतिम दिन पर सोसाइटी की प्रदत्त पूंजी के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

(11) सदस्यता की समाप्ति पर सदस्यता सूची से नाम हटाना एवं हिस्सों का भुगतानः–

अगर किसी सदस्य की सदस्यता सोसाइटी के कार्यक्षेत्र में स्थायी रूप से निवास नहीं करने के कारण या उसके पास कृषि भूमि न होने के कारण या किन्हीं अन्य कारणों से समाप्त हो जाती है, तो संचालक मण्डल ऐसे सदस्य का नाम सदस्यता सूची से हटा देगा और तत्संबंधित अवधि का अंकेक्षण पत्र प्राप्त होने पर राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 के प्रावधानों के अनुसार उसके द्वारा जमा शेयर पूंजी की रकम ऐसे लाभांशों सहित, यदि कोई घोषित किया गया हो, सोसाइटी की बकाया मूल रकम या ब्याज की राशि या अन्य उधार यदि कोई हो, काटने के बाद लौटा दी जाएगी।

(12) उत्तराधिकारी का मनोनयनः–

(क) सहकारी सोसाइटी का कोई भी सदस्य, ऐसा या ऐसे व्यक्ति मनोनीत कर सकेगा, जिसका या जिनको उसकी मृत्यु की दशा में, सोसाइटी की पूंजी में उसके शेयर अथवा हित का स्थानान्तरण किया जाएगा, अथवा उनका

मूल्य अथवा सोसाइटी द्वारा देय कोई भी रूपया दिया जाएगा। सदस्य समय समय पर ऐसे मनोनयन को निरस्त अथवा परिवर्तित कर सकेगा।

(ख) सदस्य द्वारा मनोनीत किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या सदस्य द्वारा धारित न्यूनतम वांछित शेयर (एक सदस्य के लिए न्यूनतम 5 शेयर) की संख्या से अधिक नहीं होगी।

(ग) जब कोई सदस्य उसके द्वारा धारित किन्हीं भी शेयरों के सम्बन्ध में एक से अधिक व्यक्तियों को मनोनीत करता है, तो वह जहां तक संभव होगा, संपूर्ण शेयरों के संबंध में प्रत्येक मनोनीत व्यक्ति को दी जाने वाली अथवा पाँच पूर्ण शेयरों के रूप में हस्तान्तरित की जाने वाली राशि विनिर्दिष्ट करेगा।

(घ) इस नियम के अंतर्गत किसी सदस्य द्वारा किया गया मनोनयन वैध नहीं होगा और सदस्य की मृत्यु हो जाने की दशा में वह प्रभावहीन होगा, यदि वह लिखित में न किया गया हो तथा कम से कम दो साक्षियों की उपस्थिति में सदस्य द्वारा उस पर हस्ताक्षर न किये गये हों।

(13) सदस्यों की मृत्यु पर हित का हस्तान्तरणः—

(क) सोसाइटी के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर, सोसाइटी मृत सदस्य के शेयर या हित को नियमों के अनुसार मनोनीत व्यक्ति या व्यक्तियों को और यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार मनोनीत नहीं किया गया हो तो ऐसे व्यक्ति को, जो संचालक मण्डल को मृत सदस्य का उत्तराधिकारी या वैध प्रतिनिधि प्रतीत होता हो, हस्तान्तरित कर सकेगी या लौटा सकेगी और जहां दो या अधिक व्यक्तियों के मध्य उत्तराधिकार का विवाद हो, संचालक मण्डल ऐसे दावेदारों से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा। (परन्तु शर्त यह है कि इस प्रकार मनोनीत व्यक्ति, उत्तराधिकारी या वैध प्रतिनिधि, जैसी भी स्थिति हो, को सोसाइटी के सदस्य के रूप में शामिल किया गया हो।)

(ख) उक्त उपखण्ड (क) में किसी बात के होते हुए भी कोई ऐसा मनोनीत व्यक्ति, उत्तराधिकारी या वैध प्रतिनिधि, जैसी भी स्थिति हो, नियमानुसार मृत सदस्य के अंश या हित के मूल्य का भुगतान स्वयं को किये जाने की सोसाइटी से अपेक्षा कर सकेगा।

(ग) जहाँ ऐसा मनोनीत व्यक्ति, उत्तराधिकारी या वैध प्रतिनिधि सोसाइटी के सदस्य के रूप में शामिल नहीं किया गया है वहां सोसाइटी मृत सदस्य को सोसाइटी द्वारा देय अन्य समस्त धन उसे संदत्त करेगी।

(घ) अधिनियम की धारा 22 के प्रावधानों के अनुसार सोसाइटी द्वारा किये गये समस्त हस्तान्तरण और भुगतान किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सोसाइटी से की गई किसी मांग के विरूद्ध विधिमान्य तथा प्रभावी होंगे।

(ङ) भूतपूर्व सदस्य एवं मृत सदस्य की देनदारी (Liability) का दायित्व अधिनियम की धारा 23 के प्रावधानों के अनुसार होगा।

(14) सदस्यता से निष्कासनः—

(क) कोई भी सदस्य, जो उसके द्वारा देय राशियों के भुगतान में निरन्तर चूक करता रहा है अथवा सोसाइटी के माध्यम से अपने उत्पादन के विक्रय के सम्बन्ध में अथवा सोसाइटी के साथ उसके लेन–देन से संबंधित अन्य मामलों के संबंध में उपनियमों के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहा हो, अथवा उसने सोसाइटी के हित या उचित रूप से कार्यकरण के लिए हानिकर अन्य कार्य किये हैं, अथवा अधिनियम या नियमों के अंतर्गत सदस्यता बनाये रखने हेतु आवश्यक प्रावधानों का उल्लंघन किया हो, इस प्रयोजन के लिए बुलाई गई साधारण सभा में विहित रीति से पारित विशेष संकल्प द्वारा सोसाइटी से निष्कासित किया जा सकेगा; परन्तु कोई भी संकल्प वैध नहीं होगा, जब तक कि संबंधित सदस्य को साधारण सभा से कम से कम 30 दिन पूर्व नोटिस देने के पश्चात् साधारण सभा के समक्ष अपना पक्ष रखने का अवसर न दे दिया गया हो, तथा इस संबंध में कोई भी संकल्प प्रभावी नहीं होगा, जब तक कि वह रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित नहीं कर दिया जाता है।

(ख) जब किसी सोसाइटी का कोई भी सदस्य किसी भी अन्य सदस्य के निष्कासन के लिये संकल्प करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करता है, तो वह सोसाइटी के व्यवस्थापक को इसका लिखित में एक नोटिस देगा। ऐसा नोटिस प्राप्त होने पर अथवा जब संचालक मण्डल स्वयं ही ऐसा संकल्प प्रस्तुत करने का निर्णय करे तो अगली साधारण सभा की कार्य सूची में ऐसे संकल्प पर विचार करना सम्मिलित कर लिया जाएगा तथा इसका एक नोटिस उस सदस्य को, जिसके विरूद्ध ऐसा संकल्प प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रखा गया है, उसे साधारण सभा में उपस्थित रहने तथा साधारण सभा के समक्ष निष्कासन के विरूद्ध कारण बताने के लिए निर्देश देते हुए दिया जाएगा। सदस्य यदि स्वयं उपस्थित हो, सुनने के पश्चात् अथवा ऐसे किसी भी लिखित प्रतिवेदन को, जो उसने भेजा हो, पर विचार करने के पश्चात् ही साधारण सभा संकल्प पर निर्णय करने की कार्यवाही करेगी।

(ग) उपरोक्त खण्ड (क) व (ख) के अनुसार पारित संकल्प रजिस्ट्रार को भेजा जाएगा एवं रजिस्ट्रार संकल्प पर विचार कर तथा ऐसी जांच, जो वह

ठीक समझे, करने के पश्चात् अपना अनुमोदन दे सकेगा तथा सोसाइटी एवं संबंधित सदस्य को उसकी सूचना देगा। संकल्प ऐसे अनुमोदन की तारीख से प्रभावी होगा।

(घ) सोसाइटी का कोई भी सदस्य, जो पूर्वगामी उपविधियों के अंतर्गत निष्कासित कर दिया गया है, ऐसे निष्कासन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिये उस सोसाइटी का पुनः सदस्य बनाया जाने अथवा किसी अन्य सोसाइटी का सदस्य बनने का पात्र नहीं होगा, परन्तु सोसाइटी द्वारा आवेदन करने पर अथवा विशेष परिस्थितियों में रजिस्ट्रार ऐसे किसी भी सदस्य को इस सोसाइटी में अथवा किसी भी अन्य सोसाइटी में उक्त अवधि के अन्दर सदस्यता हेतु पुनः प्रवेश अथवा प्रवेश, जैसी भी स्थिति हो, की स्वीकृति प्रदान कर सकेगा।

अध्याय IV

पूंजी व निधियां

8. निधियां व संसाधनः

सोसाइटी साधारणतः निम्नलिखित स्रोतों से निधियां प्राप्त करेगी:

1. प्रवेश शुल्क
2. शेयर पूंजी
3. उधार
4. जमा
5. आरक्षित अधिशेष
6. अनुदान व सब्सिडी
7. दान
8. व्यावसायिक कार्यकलापों से आय

(1) प्रवेश शुल्क – राज्य सरकार को छोड़कर सोसाइटी 'ए' और 'बी' दोनों वर्ग के सदस्यों से 10/– रुपए का प्रवेश शुल्क लेगी। प्रवेश शुल्क अप्रतिदेय (Non-refundable) योग्य होगा।

(2) शेयर पूंजीः–

(क) सोसाइटी की प्राधिकृत शेयर पूंजी का निर्धारण साधारण सभा द्वारा समय–समय पर किया जाएगा, जिसकी स्वीकृति रजिस्ट्रार द्वारा प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

(ख) प्रत्येक ''ए'' श्रेणी के शेयर का मूल्य 100/– रुपए होगा तथा ''बी'' श्रेणी के शेयर का मूल्य 1000/– रुपए होगा।

(ग) सदस्यों द्वारा धारित शेयर पूंजी पर उनको लाभांश का वितरण साधारण सभा के निर्णयानुसार किया जाएगा जो अधिनियम एवं नियम में वर्णित अधिकतम सीमा के अध्यधीन होगा।

(घ) कोई सदस्य, सोसाइटी की सदस्यता से नियमानुसार वापसी पर ही अपनी शेयर पूंजी निर्धारित प्रक्रिया से वापस ले सकता है।

(ङ) किसी एक वर्ष में ऋण से जुड़े शेयर पर देय अधिकतम लाभांश उस वर्ष अधिसूचित बैंकों/सहकारी बैंकों द्वारा भुगतान की जाने वाली ब्याज दर से अधिक नहीं होगा।

(3) उधार – सोसाइटी की उधारी और अधिकतम उधार लेने की शक्तिः–

सोसाइटी यथासंभव केवल संबंधित जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक से ही निधियां उधार लेगी। अपनी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह संबंधित जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक से प्राप्त न होने पर किसी अन्य वित्तीय संस्थान से निधियां उधार ले सकती हैं। किसी भी समय अधिकतम बकाया उधार सोसाइटी की समादत्त शेयर पूँजी (Paid up Share Capital) संचित आरक्षित निधि एवं भवन निधि में से संचित हानियों को घटाने के बाद शेष रही कुल रकम के 10 गुने से अधिक नहीं होगी।

(4) **जमाः–**

सोसाइटी केवल अपने सदस्यों से ही जमाराशि स्वीकार करेगी और जमाराशियों पर देय ब्याज दर जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक के तदनुरूपी जमा ब्याज दर से अधिक नहीं होगी। सोसाइटी संचालक मण्डल की स्वीकृति से अलग जमा नियम और योजनाएं बना सकेगी, जो नाबार्ड अथवा जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक की योजनाओं के अनुरूप होंगी।

(5) **आरक्षित अधिशेषः–**

सोसाइटी के कारोबार का वर्ष 1 अप्रेल से प्रारम्भ होकर 31 मार्च को समाप्त होगा। वर्ष में सकल लाभों में से लेखो में प्रोद्भूत (Accrued but not received) होने वाले समस्त ब्याज, जो कि अधिदेय (ऑवरड्यू) हैं, संस्थापन व्यय, ऋणों एवं निक्षेपों पर देय ब्याज, लेखा परीक्षा शुल्क, मरम्मत, किराया, करों, ह्रास सहित कार्यकरण व्यय घटाकर तथा लाभों में से सृजित किसी भी निधि से असमायोजित बट्टा खाते की रकमों या हानियों के लिये उपबन्ध करने या उनको अपलिखित करने के पश्चात् अधिनियम/नियमों के प्रावधानों की पालना करते हुए शुद्ध लाभ को संगणित किया जाएगा। सोसाइटी वर्ष में शुद्ध लाभ की गणना से पूर्व वर्ष के एकत्रित हुए, लेकिन उस वर्ष में वास्तविक रूप से वसूल किये गये ब्याज को मिला सकती है। इस प्रकार निकाला गया शुद्ध लाभ पूर्व वर्ष के आगे ले जाये गये लाभों की राशि के साथ विनियोग के लिए उपलब्ध होगा।

(क) **शुद्ध लाभ का निवर्तन निम्न प्रकार किया जाएगा–**

(i) कम से कम 25 प्रतिशत रक्षित कोष में,

(ii) कम से कम 1 प्रतिशत शिक्षा कोष में,

(iii) सदस्यों को उनकी देय शेयर पूंजी पर लाभांश के भुगतान हेतु लाभांश कोष में, जिसकी दर 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(ख) **शेष बचे शुद्ध लाभ का वितरण निम्न प्रकार किया जाएगा–**

(i) कम से कम 15 प्रतिशत भवन कोष में,

(ii) कम से कम 10 प्रतिशत कृषि ऋण स्थाईकरण कोष में,

(iii) लाभांश समीकरण कोष में अधिक से अधिक 5 प्रतिशत,

(iv) शेष लाभ रक्षित कोष में जोड़ दिया जाएगा।

नोट– उक्त उपनियमों में किसी भी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी यदि किसी वर्ष, सदस्यों में बकाया ऋण की मांग का 75 प्रतिशत से अधिक कालातीत ऋण हो जाए तो उस वर्ष वितरण योग्य समस्त लाभ सुरक्षित कोष में स्थानान्तरित किया जाएगा।

(ग) **बिना दावे की राशि सुरक्षित कोष में स्थानान्तरित होगी–**

सोसाइटी द्वारा देय कोई भी राशि, जिसकी मांग भारतीय मर्यादा अधिनियम के अनुसार निर्धारित अवधि में न की गई हो तो ऐसी राशि सुरक्षित कोष में स्थानान्तरित कर दी जावेगी।

सोसाइटी अपनी अधिशेष निधियों को अधिनियम की धारा 49 के प्रावाधानानुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किसी बैंक या किसी वित्तिय सोसाइटी में निक्षिप्त कर सकेगी।

(घ) **हानियों का अपलेखन–**

सोसाइटी की कोई राशि जो वसूली योग्य न रही हो या सोसाइटी का कोई ऋण जो पूर्णतः या अंशतः वसूल नहीं हो सकता है तो साधारण सभा नियम 54 में वर्णित प्रक्रियानुसार रजिस्ट्रार और वित्तीय बैंक की स्वीकृति प्राप्त कर ऐसी राशि का अपलेखन कर सकेगी।

(ङ) आरक्षित निधि अनवेक्षित हानियों (Unforeseen Losses) के लिये आशयित होती है। यह सोसाइटी, अधिनियम की धारा 49 के खण्ड (क) से (ख) में वर्णित एक या अधिक रीतियों के सिवाय अपनी आरक्षित निधि का विनिधान या निक्षेप नहीं करेगी।

(6) **अनुदान व सब्सिडीः–**

सोसाइटी और सरकार अन्य एजेंसियों से अनुदान व सब्सिडी प्राप्त कर सकती है।

(7) **दानः–**

सोसाइटी अपने सदस्यों/सरकार व अन्य एजेंसी से किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए दान प्राप्त कर सकती है।

(8) **व्यावसायिक कार्यकलापों से आयः–**

सोसाइटी अपने व्यावसायिक कार्यकलापों से आय प्राप्त करेगी।

अध्याय V

सोसाइटी का प्रबंधन

9. साधारण सभा:–

(1) सोसाइटी का अंतिम प्राधिकर उसके सदस्यों की साधारण सभा में निहित होगा। सोसाइटी की साधारण सभा में निम्नलिखित शामिल होंगे:

(क) सोसाइटी के सभी 'ए' श्रेणी सदस्य/शेयरधारक;

(ख) राजस्थान राज्य सरकार के नामांकित व्यक्ति;

(2) साधारण सभा, उपविधियों के अंतर्गत संचालक मण्डल या सोसाइटी के व्यवस्थापक को प्रदत्त शक्तियों के अनुसार किये गये कार्यों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी।

(3) **साधारण सभा की शक्तियां एवं कार्य:–**

उपनियमों के अन्य प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, साधारण सभा के पास निम्नलिखित शक्तियाँ और कर्त्तव्य होंगे:–

(क) अधिनियम, नियम और उपनियमों में निर्धारित की गई प्रक्रियाओं के अनुसरण में और समय–समय पर रजिस्ट्रार द्वारा जारी दिशानिर्देशों/निर्देशों की अनुपालना;

(ख) संचालक मण्डल द्वारा तैयार और प्रस्तुत सोसाइटी के वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार;

(ग) नवीनतम लेखा परीक्षा प्रतिवेदन और उसका अनुपालन तथा संपरीक्षित लेखा विवरणियों पर विचार;

(घ) अधिनियम और उपनियमों के प्रावधानों के अनुसरण में निरीक्षण व जांच प्रतिवेदन, यदि कोई हो, पर विचार;

(ङ) संचालक मण्डल सदस्यों और उनके परिजनों को दिए गए ऋणों व अग्रिमों से संबंधित मामलों और चूक की दशा में वसूली हेतु की जाने वाली कार्रवाई पर विचार;

(च) निवल लाभों का निवर्तन/विनियोजन;

(छ) विशिष्ट रिजर्व और अन्य निधियों का सृजन तथा अन्य निधियों के वास्तविक परिनियोजन की समीक्षा;

(ज) दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य योजना और वार्षिक योजना की स्वीकृति;

(झ) आगामी वर्ष के लिए संचालक मण्डल द्वारा तैयार किये गये कार्यकलापों व कार्यक्रमों पर विचार करना तथा निर्णय लेना।

(ञ) सोसाइटी के आय–व्यय व वार्षिक बजट पर विचार करना व स्वीकार करना।

(ट) रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटियां एवं वित्तीय बैंक को भेजे जाने वाले वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार करना।

(ठ) उपनियमों में संशोधन, यदि कोई हों, पर विचार करना।

(ड) सदस्यों के निष्कासन पर विचार करना।

(ढ़) सोसाइटी की लेखाओं की लेखा परीक्षा हेतु अधिनियम की धारा 54 के अनुसार रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित पैनल में से यथासमय लेखा परीक्षक या लेखा परीक्षा फर्म की नियुक्ति करना।

(ण) सोसाइटी का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, अनुपालना प्रतिवेदन के साथ रजिस्ट्रार और उसकी सम्बद्ध सोसाइटी को भेजने से पूर्व उस पर विचार करना और उसका अनुमोदन करना और प्रतिवेदन को यथासमय रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करना।

(त) साधारण सभा की अनुमति से कोई अन्य व्यवसाय करना।

(थ) अन्य विषय, जो संचालक मण्डल द्वारा प्रस्तुत किये जायें, पर विचार करना।

(4) साधारण सभा समय–समय पर अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन हेतु आहूत की जाएगी और ऐसी ''साधारण सभा'' दो प्रकार की होंगी:

(क) वार्षिक साधारण सभा:–

(i) वार्षिक साधारण सभा संचालक मण्डल द्वारा आवश्यकतानुसार बुलाई जाएगी, **किन्तु प्रतिवर्ष वित्तीय वर्ष की समाप्ति से छः मास की कालावधि के भीतर भीतर** अधिनियम एवं नियमों के अनुसार ऐसी बैठक बुलाया जाना आवश्यक होगा। यह बैठक वार्षिक साधारण सभा कहलाएगी।

(ii) वार्षिक साधारण सभा की ऐसी बैठक की गणपूर्ति 'ए' श्रेणी के कुल सदस्यों के कम से कम 1/5 सदस्यों की उपस्थिति से होगी।

(iii) वार्षिक साधारण सभा को सोसाइटी के संचालक मण्डल द्वारा या संचालक मण्डल के निर्देशाधीन व्यवस्थापक द्वारा आहूत किया जाएगा।

(iv) वार्षिक साधारण सभा के आयोजन से पूर्व सदस्यों को सामान्यतः 7 (सात) दिनों का नोटिस दिया जाएगा, जिसमें साधारण सभा की तिथि, समय, स्थान व विचारणीय विषयों का उल्लेख होगा।

(v) वार्षिक साधारण सभा का नोटिस निम्नलिखित एक या अधिक तरीकों से सदस्यों के पास भेजा जाएगा–

(अ) सोसाइटी कार्यालय या सोसाइटी के कार्यक्षेत्र में किसी विशिष्ट स्थान पर नोटिस की प्रति चस्पा कर;

(ब) स्थानीय डाक द्वारा (प्रेषक पुस्तिका में हस्ताक्षर प्राप्त कर),

(स) डाक द्वारा,

(द) ढोल पीटकर,

(य) प्रेस में उसके प्रकाशन द्वारा,

(र) डिजिटल तरीके से अर्थात् ई–मेल, व्हाट्सएप आदि पर।

(ख) विशेष साधारण सभाः–

(i) संचालक मण्डल किसी भी समय सोसाइटी की साधारण सभा की विशेष बैठक अपने क्रियाकलापों के सम्पादन के लिये आमंत्रित कर सकेगा। ऐसी विशेष साधारण सभा सोसाइटी के 1/5 या अधिक सदस्यों की मांग पर अथवा रजिस्ट्रार या वित्तीय बैंक से लिखित आज्ञा प्राप्त होने पर ऐसी मांग या आज्ञा प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों की अवधि में आमंत्रित की जाएगी।

(ii) उपर्युक्त वर्णित मांग को व्यवस्थापक को संबोधित किया जाएगा जिसमें विशेष साधारण सभा की आवश्यकता तथा प्रस्तावित कार्यसूची का उल्लेख करेगा।

(iii) यदि मांग की प्राप्ति पर संचालक मण्डल विशेष साधारण सभा को उचित समय पर आहूत करने में विफल रहता है, तो मांग करने वाले सदस्य इस मामले को रजिस्ट्रार को संदर्भित कर सकते हैं जिन्हें, यदि लगे कि विशेष साधारण सभा आहूत करना ठीक रहेगा तो वह ऐसी सभा स्वयं आहूत कर सकता है या ऐसी सभा

करने के लिए किसी व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकता है। ऐसी सभा रजिस्ट्रार या नामित व्यक्ति द्वारा एक माह के भीतर बुलाई जायेगी।

(iv) सभी सदस्यों को विशेष साधारण सभा की तारीख, स्थान, समय और कार्यसूची देते हुए कम से कम 7 दिनों का स्पष्ट नोटिस देना आवश्यक होगा। विशेष साधारण सभा का नोटिस उक्त उपखण्ड 4(क)(v) में वर्णित तरीकों से दिया जाएगा।

(v) विशेष साधारण सभा का कोरम कुल सदस्यों की संख्या का 1/5 होगा या जैसा कि अधिनियम और नियमों में प्राविधित है। सदस्यों की मांग पर बुलाई गई विशेष साधारण सभा को छोड़कर यदि विशेष साधारण सभा के निर्धारित समय पर कोरम पूरा नहीं होता है तो उसे उसी दिन के किसी पश्चातवर्ती समय के लिए या किसी पश्चातवर्ती तारीख, जो 7 दिन के पूर्व और 15 दिन के पश्चात् की न हो, स्थगित किया जायेगा और ऐसी स्थगित विशेष साधारण सभा में मूल कार्यसूची पर विचार किया जायेगा, चाहे गणपूर्ति हो या न हो।

(vi) यदि सदस्यों की मांग पर विशेष साधारण सभा बुलाई जाती है और कोरम पूरा नहीं होता है तो विशेष साधारण सभा स्थगित कर दी जाएगी और ऐसी मांग के आधार पर अगली विशेष साधारण सभा नहीं बुलाई जाएगी।

(5) अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष साधारण सभा की अध्यक्षता करेगा। दोनों की अनुपस्थिति में अध्यक्षता उपस्थित सदस्यों द्वारा चुने गए सभापति द्वारा की जाएगी।

(6) साधारण सभा के प्रत्येक सदस्य के पास एक मत होगा। साधारण सभा में प्रॉक्सी के माध्यम से मतदान की अनुमति नहीं होगी। सभी विषयों पर निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा होंगे। यदि मत बराबत हुए तो साधारण सभा के सभापति को एक अतिरिक्त मत देने का अधिकार होगा।

(7) साधारण सभा में चर्चा किए गए और निर्णीत सभी कार्यों को कार्यवृत्त बही/पुस्तिका में निर्धारित समय में अभिलिखित किया जाएगा जिस पर साधारण सभा के अध्यक्ष और सोसाइटी के व्यवस्थापक द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(8) साधारण सभा के लिये सदस्यों की सूची

(क) व्यवस्थापक द्वारा सोसाइटी के 'ए' श्रेणी के सदस्यों की सूचियाँ निम्नानुसार पृथक–पृथक तैयार की जायेगी–

(i) ऋणी सदस्यों की

(ii) अऋणी सदस्यों की

प्रत्येक सूची में सदस्य का नाम, पिता/पति का नाम, उसका पूर्ण पता, सदस्यता क्रमांक अंकित करना आवश्यक होगा।

(ख) संचालक मण्डल द्वारा क्रमांक (क) में वर्णित सूचियां प्रत्येक सहकारी वर्ष के अंतिम दिन तैयार की जाएगी, जिन्हें साधारण सभा के आयोजन की तारीख से एवं संचालक मण्डल के सदस्यों के निर्वाचन की तारीख से 30 दिन पूर्व अनिवार्य रूप से उस दिन तक बने सदस्यों को सम्मिलित करते हुए तथा सदस्यता से हटे या हटाये गये सदस्यों को पृथक करते हुए नवीनीकृत की जायेंगी।

(ग) किसी भी साधारण सभा के आयोजन अथवा निर्वाचन की तिथि से 30 दिन पूर्व से आम सभा की तारीख तक बनाए गए सदस्य ऐसी साधारण सभा या निर्वाचन में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।

10. संचालक मण्डलः–

(1) (क) सोसाइटी के संचालक मण्डल में 12 निर्वाचित संचालकों सहित कुल 15 सदस्य होंगे, जिनका विवरण निम्न प्रकार है –

1.	अध्यक्ष	एक
2.	उपाध्यक्ष	एक
3.	अन्य निर्वाचित सदस्य	दस
4.	केन्द्रीय सहकारी बैंक का प्रबन्ध निदेशक या उसका प्रतिनिधि	एक
5.	क्रय विक्रय सहकारी समिति का मुख्य कार्यकारी या उसका प्रतिनिधि	एक
6.	व्यवस्थापक (सदस्य सचिव)	एक

(ख) संचालक मण्डल कृषि और संबद्ध कार्यकलापों के क्षेत्र से खाद्य तकनीकी, बैंककारी, सहकारिता, प्रबंधन, विधिक, सूचना प्रौद्योगिकी आदि का अनुभव व विशेषज्ञता रखने वाले अधिकतम 2 पेशेवर संचालक सदस्यों को उचित

मार्गदर्शन और सलाह के लिए संचालक मण्डल में शामिल/सहयोजित करने का निर्णय ले सकता है। पेशेवर संचालकगण संचालक मण्डल के सदस्य होंगे और ऐसे संचालकों को अधिनियम में विनिर्दिष्ट कुल संचालकों की संख्या से अलग रखा जाएगा। पेशेवर संचालकों को मतदान का अधिकार नहीं होगा।

(ग) (i) सोसाइटी के संचालक मण्डल में 12 निर्वाचित सदस्य होंगे, जिनमें 11 ऋणी एवं 1 अऋणी सदस्य होगा। निर्वाचित होने वाले ऋणी सदस्यों में से चार स्थान निम्नानुसार आरक्षित होंगे:–

(अ) अनुसूचित जाति – एक,

(ब) अनुसूचित जनजाति– एक

(स) महिला – दो

(ii) शेष ऋणी सदस्यों के 7 वार्ड अनारक्षित होंगे।

(iii) ऋणी सदस्यों के 11 वार्डों का गठन सदस्यता सूची में प्रवेश संख्या एवं दिनांक के बढ़ते क्रम के अनुसार किया जाएगा।

(iv) सदस्यों का 11 वार्डों में लगभग समान वितरण होगा।

(v) वार्डों का आरक्षण सोसाइटी के संचालक मण्डल द्वारा निर्वाचन से पूर्व लॉटरी पद्धति से किया जाएगा।

(घ) वार्ड के सदस्य, सम्बन्धित वार्ड के उम्मीदवार को ही मतदान करेंगे। किसी अन्य वार्ड से उस वर्ग विषेष का सदस्य उस वर्ग हेतु आरक्षित वार्ड से निर्वाचन लड़ सकेगा और ऐसी समान व्यवस्था अनारक्षित वार्ड एवं अनारक्षित सदस्यों हेतु भी रहेगी।

(ङ) अऋणी सदस्यों का एक वार्ड होगा जिसमें अऋणी सदस्य ही उम्मीदवार होगा। यह वार्ड अनारक्षित रहेगा, साथ ही यह भी कि ऐसा निर्वाचित अऋणी सदस्य सोसाइटी के अध्यक्ष पद के निर्वाचन हेतु योग्य नहीं होगा।

(च) निर्वाचन हेतु सदस्यों की सूचियां उक्तानुसार वार्ड अनुसार बनाई जाएगी। प्रत्येक सूची में सदस्य का नाम, पिता/पति का नाम, पूर्ण पता तथा सदस्यता क्रमांक अंकित किया जाना आवश्यक होगा।

परन्तुकः– परन्तु उक्त उपखण्ड (ग) से (ड़) तक के प्रावधान वहां लागू नहीं होंगे, जहां सोसाइटी ने गत तीन वित्त वर्षों में एक बार भी वित्तीय

बैंक से अपने सदस्यों हेतु किसी प्रकार का ऋण प्राप्त नहीं किया हो, ऐसी स्थिति में सभी सदस्यों को समान सदस्य मानते हुए 12 वार्डों का गठन किया जायेगा एवं समस्त 12 वार्डों में से आरक्षण हेतु लॉटरी निकाली जावेगी तथा अऋणी सदस्य के अध्यक्ष पद हेतु पात्र नहीं होने संबंधी शर्त यहां लागू नहीं होगी।

स्पष्टीकरणः— ऋणी सदस्य से तात्पर्य ऐसे सदस्य से है, जिसने सोसाइटी से पिछले तीन वित्तीय वर्षों की अवधि में कम से कम एक बार नकद या कृषि आदान के रूप में ऋण लिया हो।

(2) संचालक मण्डल के सदस्यों की निर्योग्यताएंः—

निम्न में से कोई एक या अधिक कारण होने पर सोसाइटी का कोई सदस्य संचालक मण्डल के सदस्य पद पर निर्वाचित होने या पदासीन रहने योग्य नहीं होगा, यदि वह—

(क) 18 वर्ष की आयु से कम का हो; या

(ख) यदि वह सोसाइटी या वित्तीय बैंक/संस्थान या भारत या राजस्थान सरकार या किसी स्थानीय निकाय का वेतनभोगी कर्मचारी हो; या

(ग) बेईमानी या नैतिक अधमता (Moral Turpitude) से जुड़े किसी भी अपराध के लिए दोषसिद्ध हो; या

(घ) दिवालियापन का आवेदन दिया हो या घोषित दिवालिया हो; या

(ङ) अस्वस्थचित्त का हो; या

(च) सदस्यता से संबंधित दायित्वों का चूककर्ता हो; या

(छ) सोसाइटी में लाभ का कोई पद का धारण करता हो; या

(ज) निर्वाचन की तारीख से ठीक 30 दिन पहले सहकारी सोसाइटी का मतदान की पात्रता वाला सदस्य न रहा हो; या

(झ) निर्वाचन से ठीक पहले आयोजित सोसाइटी की लगातार तीन साधारण सभाओं में सभा का नोटिस तामील होने के उपरांत भी, बिना युक्तियुक्त कारण के उपस्थित न रहा हो; या

(ञ) अधिनियम के अनुसार जाँच के पश्चात् रजिस्ट्रार द्वारा—

(i) निजी लाभ के लिये पद के दुरूपयोग या सोसाइटी की सम्पत्तियों के दुरूपयोग का दोषी पाया गया हो।

(ii) व्यवस्थापकीय सेवा नियमों और विनियमों का उल्लंघन कर सोसाइटी के किसी पद पर की गई किसी नियुक्ति का उत्तरदायी पाया गया हो।

(iii) जानबूझकर बेनामी/बोगस ऋण स्वीकृत करने के लिये उत्तरदायी पाया गया हो।

(ट) संचालक बनने या बने रहने के लिए अधिनियम, नियमों और उपनियमों में निर्दिष्ट कोई अन्य निर्हरता से ग्रस्त हो।

(ठ) इस सोसाइटी अथवा किसी अन्य सहकारी सोसाइटी की किसी मांग या ऋणों को अधिनियम की धारा 28 के अनुसार निर्धारित अवधि में नहीं चुकाने का दोषी हो।

(ड) किसी ऐसी बीमारी से ग्रस्त हो, जिसके कारण मानसिक व शारीरिक रूप से संचालक मण्डल की बैठकों में भाग लेने से विवश हो।

(ढ़) किसी राजनैतिक अपराध के अतिरिक्त किसी अपराध में सजा काट चुका हो अथवा नैतिक पतन के अपराध में गिरफ्तार हो चुका हो और जब तक कि सक्षम न्यायालय द्वारा उसे निर्दोष घोषित नहीं कर दिया गया हो।

(ण) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस सोसाइटी के साथ किये गये किसी ठेके या सोसाइटी द्वारा खरीदी गई या बेची गई किसी सम्पत्ति में या सोसाइटी के साथ किये गये किसी लेन–देन में रूचि रखता हो या उसका हित निहित हो।

(त) सोसाइटी द्वारा किया जाने वाला कारोबार वह स्वयं अपने नाम से अथवा परिवार के किसी सदस्य के नाम से करता हो।

व्यवस्थापक ऐसी किसी भी निर्योग्यता से ग्रस्त संचालक सदस्य की सूचना प्रमाण सहित तत्काल उप रजिस्ट्रार को देगा और उप रजिस्ट्रार उक्त सूचना पर या अन्य प्रकार से प्राप्त सूचना पर धारा 28 के प्रावधानानुसार निर्णय करेगा।

(3) **संचालक मण्डल के सदस्यों का कार्यकालः–**

(क) संचालक मण्डल के निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल निर्वाचन की तारीख से 5 वर्ष का होगा।

(ख) साधारण सभा किसी भी समय संचालक मण्डल से उसके द्वारा निर्वाचित किसी सदस्य को विशेष संकल्प द्वारा हटाने में सक्षम होगी, किन्तु उसके रिक्त हुए स्थान पर निर्वाचन हेतु सोसाइटी को राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी को अभ्यर्थना भेजी जानी होगी।

(ग) संचालक मण्डल का कोई भी निर्वाचित सदस्य किसी भी समय व्यवस्थापक को अपना त्याग पत्र दे सकेगा, किन्तु ऐसा त्याग पत्र उसी तिथि से प्रभावशाली होगा, जब वह संचालक मण्डल द्वारा स्वीकार कर लिया जाए।

(घ) संचालक मण्डल की बैठक की सूचना सभी सदस्यों को विधिवत रूप से दी जावेगी। संचालक मण्डल का कोई निर्वाचित/सहयोजित सदस्य यदि संचालक मण्डल की निरन्तर तीन बैठकों में संचालक मण्डल की अनुमति के बिना अनुपस्थित रहता है तो ऐसे सदस्य के विरूद्ध राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 28 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु व्यवस्थापक रजिस्ट्रार को सूचित करेगा।

(ङ) संचालक मण्डल के निर्वाचित सदस्यों के पद रिक्त होने की स्थिति में आगामी वार्षिक साधारण सभा तक रिक्त स्थान की पूर्ति अधिनियम व नियम में वर्णित प्रावधानों के अनुसार की जायेगी। यदि सहवरण किया जाता है तो ऐसा सहवरण उन सदस्यों में से नहीं किया जाएगा, जो निर्वाचन में हार गये हों, अथवा अधिनियम, नियम या उपविधियों के प्रावधानों के अनुसार संचालक मण्डल से अपदस्थ किये गये हो।

(4) संचालक मण्डल की बैठकः—

संचालक मण्डल की बैठक कम से कम तीन माह में एक बार अवश्य होगी या आवश्यकता होने पर इसके पूर्व भी सोसाइटी के कार्य संचालन हेतु आयोजित की जा सकेगी। अध्यक्ष के उपस्थित होने पर वह संचालक मण्डल की बैठक की अध्यक्षता करेगा और उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा बैठक की अध्यक्षता की जाएगी। यदि अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हों तो संचालक मण्डल के उपस्थित सदस्य अपने में से किसी सदस्य को बैठक के सभापतित्व के लिए चुनेंगे। संचालक मण्डल की बैठक का कोरम आठ सदस्यों का होगा। संचालक मण्डल में सभी मामले बहुमत से निर्णीत होंगे। समान मत होने की दशा में अध्यक्ष या अध्यक्षता कर रहा कोई सदस्य, जैसी भी स्थिति हो, अपना द्वितीय एवं निर्णायक मत दे सकेगा। संचालक मण्डल का कोई भी सदस्य ऐसी किसी बैठक में उस समय भाग नहीं लेगा, जबकि उस बैठक में ऐसे विषय पर विचार किया जा रहा हो, जिसमें कि सदस्य की व्यक्तिगत रूप से रूचि हो। संचालक मण्डल की बैठक के लिए कम से कम 7 दिनों का नोटिस देना होगा। अत्यावश्यक स्थिति में व्यवस्थापक संचालक मण्डल के सदस्यों में संकल्प का परिचालन कर आदेश प्राप्त करेगा। परिचालन द्वारा प्राप्त किये गये निर्णय को संचालक मण्डल की आगामी बैठक में रखा जाएगा तथा इसे सर्वसम्मति से अंगीकृत किया जायेगा।

बहुसंख्य संचालक मण्डल सदस्यों की मांग पर 7 दिनों के अंदर संचालक मण्डल की बैठक आयोजित की जाएगी। यह मांग व्यवस्थापक को संबोधित होगी जिसमें बैठक की आवश्यकता और प्रस्तावित कार्यसूची का उल्लेख होगा।

(5) **संचालक मण्डल की शक्तियां एवं कर्तव्यः—**

(क) साधारण सभा के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अध्यधीन संचालक मण्डल सोसाइटी की सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा और सभी कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगा, सिवाय उनको छोड़कर जो सोसाइटी की साधारण सभा में या व्यस्थापक में विशेष रूप से आरक्षित हैं। विशेष रूप से संचालक मण्डल के निम्नलिखित शक्तियां और कर्त्तव्य होंगे:

(i) अधिनियम, नियमों और उपनियमों के संगत प्रावधानों के अनुसार अपनी सभी कार्रवाईयाँ करना;

(ii) सभी धन प्राप्ति और व्यय के संबंध में और सोसाइटी द्वारा खरीदे और बेचे गए सभी स्टॉक का सही और उसके लेखाओं का सटीक अनुरक्षण करना;

(iii) सोसाइटी की आस्तियों और देनदारियों का सही लेखाजोखा तैयार करना;

(iv) वार्षिक साधारण सभा में प्रस्तुत करने हेतु सोसाइटी के कार्यकरण का वार्षिक प्रतिवेदन, बैलेंस शीट, लाभ व हानि लेखा और व्यापार लेखा सहित वार्षिक लेखा विवरणी तैयार करना/करवाना;

(v) लेखा परीक्षण हेतु अपेक्षित लेखाओं का विवरण तैयार करना और उन्हें संगत वाउचरों व अन्य संबंधित कागजात के साथ लेखा परीक्षक के समक्ष प्रस्तुत करना;

(vi) लेखाओं का परीक्षण, प्रासंगिक व्यय की स्वीकृति और विहित रजिस्टरों का अनुरक्षण सुनिश्चित करना;

(vii) रजिस्ट्रार और वित्तीय बैंक की जांच प्रतिवेदन पर विचार करना और आवश्यक कदम उठाना तथा संबंधित प्राधिकारी को अनुपालना प्रतिवेदन की प्रस्तुति सुनिश्चित करना;

(viii) नए सदस्यों को प्रवेश देना और शेयरों को आवंटित करना;

(ix) उपनियमों के अनुसरण में साधारण सभा आहूत करने के लिए व्यवस्थापक को निर्देश देना;

(x) इन उपनियमों/नियमों/अधिनियम के अनुरूप सोसाइटी की अधिकतम उधार शक्ति को निर्धारित करना;

(xi) प्रत्येक सदस्य की अधिकतम ऋण सीमा का निर्धारण करना बशर्ते कि यह सीमा रजिस्ट्रार द्वारा समय–समय पर निर्धारित की गई सीमा से अधिक नहीं होगी;

(xii) सोसाइटी में लागू ऋण योजनाओं के अनुसार तथा निर्धारित नियमावली के अनुसार ऋण की संविदा करना जो साधारण सभा द्वारा लगाई गई किसी सीमा के अध्यधीन होगी;

(xiii) सोसाइटी में लागू ऋण योजनाओं के अनुसार तथा साधारण सभा द्वारा समय–समय पर निर्धारित नियमों और शर्तों के तहत सदस्यों की अल्पकालीन ऋण की अधिकतम साख सीमा स्वीकृत करना या उनका मध्यकालीन या दीर्घकालीन ऋण स्वीकृत करना तथा सदस्यों से ऋण और ब्याज की समयबद्ध वसूली सुनिश्चित करना;

(xiv) साधारण सभा द्वारा समय–समय पर निर्धारित नियमों और शर्तों के तहत जमाराशियां स्वीकृत करना ओर उसके पुनर्भुगतान की व्यवस्था करना;

(xv) कृषि उपकरणों, बीज, खाद, घरेलू आवश्यकताओं तथा कृषि उत्पादन संबंधी अन्य आवश्यकताओं के विक्रय की शर्तों का निर्धारण करना और अपने सदस्यों की कृषि उत्पादों की बिक्री, विपणन और भंडारण की व्यवस्था सुनिश्चित करना;

(xvi) यह निगरानी करना कि आवेदित ऋण केवल उसी प्रयोजन के लिए स्वीकृत किए जा रहे हैं;

(xvii) किसी प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा बहीखाता और लेखाओं तथा लेखा परीक्षण की जांच में सहायता करना;

(xviii) सोसाइटी के कर्तव्य निष्पादन और कार्यों के निर्वहन में सहायता के लिए लागू सेवा नियमों के अनुसार कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों के पदों का समय–समय पर सृजन और नियमानुसार भर्ती के पश्चात् नियुक्ति करना;

(xix) कुशल श्रमबल/परामर्शी की सेवाएं भाड़े पर लेना।

(xx) सोसाइटी के व्यवसाय के संचालन हेतु उपनियमों के अनुरूप ऋण नीति, जमा नीति, स्टाफ सेवा नियम आदि के लिए सहायक नियमों का निर्माण करना।

(xxi) लागू सेवा नियमों तथा रजिस्ट्रार द्वारा समय–समय पर किए गए संशोधनों के अनुसरण में कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करना।

(xxii) रजिस्ट्रार द्वारा समय–समय पर निर्धारित प्रतिभूतियां देने के लिए कर्मचारियों को कहना और प्रतिभूति विलेख के सत्यापन और सुरक्षित अभिरक्षा की व्यवस्था करना;

(xxiii) सोसाइटी के किसी सदस्य या कर्मचारी या विशेष रूप से अधिकृत किसी व्यक्ति को सोसाइटी के संचालक मण्डल या सोसाइटी के कार्यों से संबंधित कर्मचारियों के विरूद्ध विधिक प्रक्रिया के गठन, संचालन, बचाव, समझौता, मध्यस्थता के लिए संदर्भित या त्याग करने के लिए प्राधिकृत करना।

(xxiv) सोसाइटी की ओर से अन्य सहकारी सोसाइटियों के शेयरों का निर्धारित प्रक्रियानुसार अधिग्रहण करना;

(xxv) सोसाइटी के बहीखाता एवं अभिलेख, नकद, उपकरणों, माल व स्टॉक की सुरक्षित अभिरक्षा करना और इसके लिए कर्मचारियों की विशिष्ट जिम्मेदारी निर्धारित करना;

(xxvi) उन शर्तों का निर्धारण करना जिसके अनुसार साधारण उपयोग के लिए रखी कृषि मशीनरी आदि को सदस्यों को किराए पर उपयोग हेतु दिया जाएगा;

(xxvii) संचालक मण्डल के सदस्य के त्यागपत्र को स्वीकार करना और स्वीकरण की दशा में परिणामी रिक्तियों को इसके शेष कार्यकाल के लिए अधिनियम, नियमों व उपनियमों द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसरण में निर्वाचन द्वारा अथवा सहवरण द्वारा भरने की व्यवस्था करना;

(xviii) अधिनियम और इसके तहत बने नियमों के अनुसरण में सोसाइटी की अधिशेष निधियों का निवेश करना;

(xxix) सोसाइटी की ओर से संपत्ति की खरीद, बिक्री, किराया पर देना या अन्यथा निपटान करना;

(xxx) नियमानुसार संचालक मण्डल के रिक्त पदों पर सहवरण करना।

(xxxi) सोसाइटी की साधारण सभा द्वारा निर्णीत और सौंपे गए सोसाइटी के व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाना।

(xxxii) सोसाइटी के उद्देश्यों के अनुसार सोसाइटी के क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए योजनाएं तैयार कराना एवं उनकी क्रियान्विति की व्यवस्था करना।

(xxxiii) सोसाइटी को एक आदर्श सहकारी सोसाइटी बनाने हेतु सदस्यों की सहकारी शिक्षा, उनकी आर्थिक उन्नति, सामाजिक कुरीतियों को हटाने की योजनाएं बनाकर उनकी क्रियान्विति करना।

(xxxiv)सोसाइटी के व्यवस्थापन हेतु मार्गदर्शक नीति का निर्धारण करना एवं प्रबन्ध का समय समय पर मूल्यांकन करना।

(xxxv) सोसाइटी के कोष के विनियोजन के लिए स्वीकृति देना।

(xxxvi)सदस्यता, शेयर एवं अमानतों की वृद्धि हेतु कार्यक्रमों को निर्धारित करना व समीक्षा करना एवं शेयरों के हस्तान्तरण की स्वीकृति देना।

(xxxvii)सोसाइटी द्वारा गोदाम निर्माण कराना या किराये पर गोदामों को लेना, कृषि पर आधारित उद्योगों के माल, कृषि इनपुट्स, मवेशियों के चारे, उपभोक्ता वस्तुओं आदि को खरीदने की तथा सामयिक विक्रय की समुचित व्यवस्था करना।

(xxxviii)कृषि उपकरण एवं मशीनरी क्रय करके या किराये पर लेकर कृषि सेवा के लिये किराये पर उपलब्ध कराने की समुचित व्यवस्था करना एवं सेवा कार्य की समय समय पर समीक्षा कर मूल्यांकन करना, स्वयं के या किराये के केन्द्रों के माध्यम से कृषि उत्पादन के संवारने की व्यवस्था करना।

(xxxix)सोसाइटी के अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों पर विचार करना, पूर्ति प्रतिवेदन तैयार करना एवं **आमसभा के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करना।**

(xxxx) सोसाइटी के वार्षिक बजट को तैयार करवाना, जिससे कि समय पर स्वीकृति के लिए साधारण सभा में प्रस्तुत किया जा सके।

(xxxxi)सोसाइटी के व्यवस्थापन के लिए खर्चों की स्वीकृति देना।

(xxxxii)वितरित ऋणों के उपयोग की उपयुक्त देख रेख की व्यवस्था करना एवं सदस्यों को सलाहात्मक सेवाओं की समुचित व्यवस्था करना।

(xxxxiii)समय समय पर बकाया के मामलों की जांच करना एवं रकम की वसूली के लिए आवश्यक कदम उठाना।

(xxxxiv)संबंधित वित्तीय संस्थान से सोसाइटी की स्वीकृत धन राशि समय पर प्राप्त करने एवं सोसाइटी में प्राप्त ऋण राशि के समय पर वितरण की व्यवस्था का पर्यवेक्षण करना तथा यह सुनिश्चित करना कि राशि का सदुपयोग हुआ है।

(xxxxv) प्रत्येक वर्ष 31 मई तक सोसाइटी के लेखाओं की लेखा परीक्षा हेतु अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लेखा परीक्षक की नियुक्ति करना तथा विधिवत रूप से नियुक्त लेखा परीक्षक द्वारा 30 सितम्बर से पूर्व लेखा परीक्षण कार्य पूर्ण करवाना, प्रतिवेदन रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करना।

(xxxxvi)व्यवस्थापक व कर्मचारियों के आकस्मिक अवकाश से भिन्न अवकाशों को स्वीकृत करने का निर्णय करना।

(xxxxvii)चेक व अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने हेतु व्यवस्थापक के साथ अन्य कर्मचारियों को अधिकृत करना।

(xxxxviii)संचालक मण्डल उपयुक्त नियमादि बनवाएगा, जिसके द्वारा सोसाइटी स्वयं अथवा अभिकर्ता के रूप में सदस्यों की कृषि या घरेलू आवश्यकताओं, कुटीर या लघु उद्योग की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके।

(xxxxix)संचालक मण्डल ऐसी उपयुक्त नीति तैयार करेगा, जिसके द्वारा सोसाइटी स्वयं अथवा अभिकर्ता के रूप में सदस्यों की कृषि उपज, दुग्ध उत्पादन, मुर्गी पालन, उद्योग, सुअर उद्योग, भेड़ पालन, कुटीर उद्योग या लघु उद्योग आदि के उत्पादन के विक्रय की व्यवस्था कर सके।

(xxxxx) संचालक मण्डल ऐसी उपयुक्त सहायक नियमावली भी बनाएगा, जिनके द्वारा माल की अभिरक्षा, उसका रखना एवं गोदाम में से उसकी वापसी, बीमा एवं किराये आदि पर नियंत्रण हो।

(xxxxxi) माल की जमानत पर ऋण देने हेतु संचालक मण्डल द्वारा नियम बनाये जाएंगे तथा रजिस्ट्रार से उनका अनुमोदन प्राप्त कर नियमानुसार ऋण दिये जा सकेंगे। ऐसे ऋण केवल सोसाइटी के सदस्यों को ही दिये जायेंगे।

(xxxxxii)सहकारी फसली ऋण पोर्टल पर पंजीयन एवं आधार आधारित अभिप्रमाणन के पश्चात् निर्देशित DMR के माध्यम से अल्पकालीन फसली ऋण वितरण हेतु रजिस्ट्रार द्वारा जारी निर्देशों की अनुपालना करवाना एवं सोसाइटी के लेखों, अभिलेखों एवं सूचनाओं को रजिस्ट्रार के आदेशानुसार ऑनलाईन करवाना।

(ख) **अन्य सहकारी सोसाइटिओं में प्रतिनिधित्वः–** अन्य सहकारी सोसाइटिओं में सोसाइटी का प्रतिनिधित्व सोसाइटी के अध्यक्ष द्वारा तथा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।

(ग) सोसाइटी के व्यावसायिक कार्यों व अपेक्षाओं के अनुसार संचालक मण्डल ग्राम समिति, वित्त और लेखा परीक्षण समिति, भर्ती/चयन/नियुक्ति समिति, युवा/महिला समिति, व्यवसाय/व्यापार संवर्धन और उद्यम/औद्योगिकीकरण समिति, सतत/सामुदायिक विकास समिति, आदि जैसी उपसमितियों का गठन और उनकी शक्तियों व कार्यों का निर्धारण कर सकता है। समितियों के सदस्यों को भुगतान किये जाने वाले शुल्क और भत्ते का निर्धारण रजिस्ट्रार द्वारा किया जाएगा। उपसमितियों में लिए

गए सभी निर्णय/संकल्प केवल सुझावात्मक/अनुशंसनात्मक प्रकृति के होंगे जिस पर संचालक मण्डल की बैठक में स्वीकृति के बाद ही कार्रवाई होगी।

(घ) सोसाइटी के कार्यों के संचालन में संचालक मण्डल विवेक और यथोचित परिश्रम का प्रयोग करेगा और सोसाइटी के नियमों, उपनियमों और उल्लिखित उद्देश्यों के उल्लंघन में किए गए किसी कृत्य के कारण हुए किसी नुकसान के लिए उत्तरदायी होगा।

(ङ) संचालक मण्डल की बैठक में चर्चा किए गए या निर्णीत सभी मुद्दों को कार्यवृत्त पुस्तिका/बही में अभिलिखित किया जाएगा जिस पर अधिनियम/नियमों/उपनियमों में निर्धारित समय– सीमा के अंदर बैठक के अध्यक्ष, संचालक मण्डल के उपस्थित सदस्यों और व्यवस्थापक द्वारा हस्ताक्षर किये जाएंगे।

(च) संचालक मण्डल की सेवा मानद व आनुग्रहिक होगी। संचालकों को बैठक भत्ता, यात्रा भत्ता आदि रजिस्ट्रार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार देय होंगे।

11. अध्यक्ष की शक्तियां और कर्तव्यः–

(1) (क) अध्यक्ष का चुनाव संचालक मण्डल के सदस्यों में से निर्वाचन द्वारा होगा।

(ख) अध्यक्ष संचालक मण्डल की ओर से सोसाइटी के प्रशासन, व्यवसाय और कार्यकलापों के सामान्य नियंत्रण और पर्यवेक्षण की शक्तियों का प्रयोग करेगा।

(ग) अध्यक्ष संचालक मण्डल द्वारा उसे प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करेगा और किसी आपातकाल में अपनी शक्तियों और कर्तव्यों का प्रत्यायोजन उपाध्यक्ष को या उसकी अनुपस्थिति में एक विशिष्ट अवधि के लिए किसी अन्य संचालक सदस्य को कर सकता है तथा इस प्रकार प्रत्यायोजित किन्हीं शक्तियों को वापस ले सकता है।

(घ) अध्यक्ष को यह शक्ति होगी कि वह स्वयं को संतुष्ट करने के लिए कि सोसाइटी के कारोबार का प्रबंधन अधिनियम, नियमों और उपनियमों के अनुसरण में हो रहा है, व्यवस्थापक से सोसाइटी के कोई अभिलेख या कोई प्रतिवेदन मांग सकता है

(ङ) अध्यक्ष संचालक मण्डल द्वारा अपनी बैठक में दिए गए किसी आदेश या निर्णय के उल्लंघन में कार्य नहीं करेगा।

(च) अध्यक्ष साधारण सभा और संचालक मण्डल की बैठकों की अध्यक्षता करेगा। मतों की बराबरी रहने पर अध्यक्ष अपना एक अतिरिक्त मत डालेगा ।

(छ) अध्यक्ष साधारण सभा व संचालक मण्डल की बैठकों के कार्य विवरण निर्धारित समय में लिखवायेगा व व्यवस्थापक के साथ साथ उसके सही होने के प्रमाण स्वरूप कार्यवाही पुस्तिका/बही में अपने हस्ताक्षर करेगा।

(ज) आवश्यकतानुसार सोसाइटी की ओर से लिखे जाने वाले पत्रादि पर व्यवस्थापक के साथ साथ हस्ताक्षर करेगा।

(झ) यह सुनिश्चित करेगा कि व्यवस्थापक संचालक मण्डल के निर्देशों एवं सोसाइटी के उद्देश्यों के अनुसार कर कार्य कर रहा है।

(ञ) कमजोर वर्ग के सदस्यों को राज्य सरकार एवं रजिस्ट्रार के निर्देशानुसार ऋण व अन्य सुविधाएं प्रदान करने की व्यवस्था की देखरेख करेगा।

(ट) स्वीकृत बजट के अंतर्गत सोसाइटी में होने वाले व्ययों की देखरेख करेगा।

(ठ) प्रत्येक सप्ताह में एक बार सोसाइटी की रोकड़ बही एवं कैश को चैक करके हस्ताक्षर करेगा तथा प्रत्येक त्रैमास में कम से कम एक बार सोसाइटी के स्टॉक की चैकिंग करेगा तथा हस्ताक्षर करेगा।

(ड) व्यवस्थापक व कर्मचारियों को आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करेगा तथा उपार्जित अवकाश सहित अन्य अवकाशों को स्वीकृति हेतु संचालक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

(ढ) व्यवस्थापक द्वारा किये गये कार्यों को चैक करेगा तथा संचालक मण्डल को अवगत करवायेगा।

12. व्यवस्थापक के कर्तव्य और उत्तरदायित्वः—

(1) व्यवस्थापक को सोसाइटी के दैनंदिन कारोबार व प्रशासन की देखरेख हेतु अधिनियम/नियमों/उपनियमों के अनुसार निर्धारित प्रक्रियानुसार चयन के पश्चात् संचालक मण्डल द्वारा नियुक्त किया जाएगा। व्यवस्थापक निम्नलिखित कर्तव्यों व उत्तरदायित्वों का निष्पादन करेगाः—

(क) संचालक मण्डल के निर्देशानुसार साधारण सभा और संचालक मण्डल की बैठकों को समय पर आयोजित करना;

(ख) संचालक मण्डल और साधारण सभा की सभी बैठकों में उपस्थित रहना और ऐसी बैठकों में अपेक्षित सभी संगत कागजातों, दस्तावेजों को प्रस्तुत करना और ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त पर अध्यक्ष के साथ हस्ताक्षर करना;

(ग) बैठकों की कार्रवाई व कार्यों को निर्धारित समय में कार्यवृत्त पुस्तिका में अभिलिखित व प्रविष्ट करना;

(घ) स्वीकृत बजट व सीमाओं के अधीन सोसाइटी की ओर से भुगतान करना व सभी धन प्राप्त करना और संचालक मण्डल के निर्देशानसार रसीद जारी करना;

(ङ) संचालक मण्डल के निर्देशानसार नकद में भुगतान व रसीद की प्राप्ति करना;

(च) लेखाओं के सभी बहीखाता व रजिस्टरों का नियमानुसार अनुरक्षण करना;

(छ) संचालक मण्डल के निर्देशानुसार व निर्धारित शर्तों के अध्यधीन बैंक खातों का परिचालन करना;

(ज) ऋणों व अग्रिमों के संबंध में मांग, संग्रहण व शेष की विवरणी तैयार करना;

(झ) सोसाइटी के वित्तीय लेनदेन की रसीदें, वाउचर आदि तैयार करना;

(ञ) सोसाइटी के सभी पत्राचार करना और सदस्यों को अपेक्षित सूचनाओं की आपूर्ति करना;

(ट) सोसाइटी के अधीनस्थ कर्मचारियों पर नियंत्रण करना;

(ठ) उपनियमों के प्रावधानों के अनुसरण में या संचालक मण्डल के प्रस्तावानुसार अध्यक्ष के साथ या अन्यथा चेक व दस्तोवेजों पर हस्ताक्षर करना;

(ड) संचालक मण्डल द्वारा निर्धारित व अनुमोदित सीमा के अनुसरण में सोसाइटी के लिए धनराशि का व्यय करना;

(ढ) संचालक मण्डल के निर्देशानुसार कार्य करना;

(ण) यह सुनिश्चित करना कि सोसाइटी के कार्यालय और शाखाओं में द्वि–ताला प्रणाली के तहत शेष नकद तिजोरी में रखा जा रहा है;

(त) व्यापार के लिए चलंत माल, उपकरणों और उत्पादों के अभिलेख अपनी अभिरक्षा में या संचालक मण्डल द्वारा नामित किसी अन्य कर्मचारी की अभिरक्षा में रखना;

(थ) संचालक मण्डल की अनुमति से सोसाइटी के लिए किसी भी समझौते में शामिल होना;

(द) ऋणी के साथ साम्यिक (Equitable) बंधक निष्पादित करना और ऋण समाप्ति के बाद इसे उन्मुक्त करना;

(ध) सोसाइटी की साख को बढ़ाने हेतु सभी ऐसे कार्य करना, जिससे सदस्यों की आस्था सोसाइटी में बढे एवं सोसाइटी के गौरव की अभिवृद्धि हो। इस हेतु सोसाइटी के कार्यक्षेत्र के आर्थिक विकास की तीन वर्षों की योजना बनाना एवं संचालक मण्डल/साधारण सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना। योजना के निर्धारित लक्ष्य को समय पर प्राप्त करना।

(न) सोसाइटी के कार्यालय को सुव्यवस्थित रखना, समय पर कार्यालय खोलना व पूर्ण समय समस्त सदस्यों को सोसाइटी की सेवायें उपलब्ध कराना, उनके आर्थिक मामलों में पूर्ण सहायता व मार्गदर्शन करना।

(प) सोसाइटी की ओर से तथा संचालक मण्डल के निर्णय के अनुसार बैंक व अन्य वित्तीय सस्थाओं से धन राशि प्राप्त करना, खातों से लेन–देन करना, प्राप्त राशि को सुरक्षित रूप से सोसाइटी में लाकर रोकड बही में तत्काल प्रविष्टि करना, ऋण राशि प्राप्ति से निर्धारित अवधि में वितरित कर शेष अवितरित राशि को बैंक में जमा कराना एवं सोसाइटी की प्रतिदिन शेष रोकड़ पोते बाकी पर हस्ताक्षर कर उसको सुरक्षित रखना, अधिकृत अधिकारीगण को उनके चाहने पर रोकड़ राशि का भौतिक सत्यापन करवाना। संचालक मण्डल द्वारा समय समय पर निर्धारित रोकड़ पोते की राशि से अधिक राशि एवं वसूली की समस्त राशि वित्तीय बैंक में तत्काल जमा करवाना।

(फ) सोसाइटी के उद्देश्यों के अनुसार उपभोक्ता सामग्री, इनपुट्स व अन्य सामान संबंधित उच्च सोसाइटी के माध्यम से प्राप्त करना, उसका सामयिक विक्रय करना, स्टॉक रजिस्टर में प्रतिदिन प्रविष्ट करना, शेष स्टॉक को सुरक्षित रखना एवं सक्षम अधिकारी द्वारा चाहे जाने पर स्टॉक का भौतिक सत्यापन करवाना।

(ब) अधिकृत विभागीय/वित्तीय बैंक/उच्च सोसाइटी के अधिकारी द्वारा अंकेक्षण/निरीक्षण के समय पूर्ण सहयोग देना/उनके द्वारा मांगे गये समस्त रिकार्ड को प्रस्तुत करना, समस्त वांछित सूचनाएं उपलब्ध कराना एवं प्राप्त अंकेक्षण/निरीक्षण पत्रों की सामयिक पूर्ति करना, उनको संचालक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करना एवं पूर्ति प्रतिवेदन संबंधित अधिकारीगणों को समय पर पठाना एवं तत्संबंधित निर्देशों की पालना करना।

(भ) सोसाइटी के सभी सदस्यों को पास बुक देना। उनसे लेन–देन करते ही तत्काल वांछित बुकों को अद्यतन पूर्ण रखना, वसूली हेतु मांग का नोटिस समय पर तैयार कर सभी सदस्यों को निर्धारित समय से पूर्व तामील करवाना, सदस्यों की ओर बकाया अवधिपार ऋणों की वसूली के विधिक मामले तैयार कर सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत करना एवं पारित आदेशों के निष्पादन हेतु सोसाइटी की ओर से समस्त पैरवी/कार्यवाही करना।

(म) सोसाइटी की प्रतिभूतियां, शेयर प्रमाण पत्र आदि प्राप्त करना, रेकार्ड में अंकित करना तथा पूर्ण सुरक्षा से रखने की व्यवस्था करना।

(य) सोसाइटी का आय–व्यय बजट तैयार करना व संचालक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करना।

(र) वर्ष की समाप्ति पर वार्षिक लेखे, नक्शे आदि तैयार करना व संचालक मण्डल व लेखा परीक्षक को प्रस्तुत करना। 30 सितम्बर से पूर्व लेखा परीक्षण कराना व प्रतिवेदन रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करना।

(ल) नये सदस्य बनाने हेतु आवश्यक कार्य करना।

(व) सोसाइटी के समस्त सदस्यों की भूमि के सही विवरण को भूमि विवरण पंजिका में अंकित करना, उसका राजस्व पटवारी से सत्यापन करवाना, सदस्यों की भूमि में होने वाले परिवर्तन, परिवर्द्धन एवं कमी की सूचनाएं अंकित करना एवं यह सुनिश्चित करना कि उक्त विवरण हेतु निर्धारित पंजिका अद्यतन, पूर्ण व सही है।

(श) अध्यक्ष एवं संचालक मण्डल के किसी सदस्य द्वारा चाहे जाने पर सोसाइटी के रिकार्ड का निरीक्षण करवाना।

(ष) राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को ऐसी समस्त जानकारियां देना और ऐसी समस्त सुविधाएं उपलब्ध करवाना, जिनकी वह स्वतंत्र और विधिपूर्ण निर्वाचन के संचालन के लिये अपेक्षा करे।

(स) संचालक मण्डल और उसके पदाधिकारियों के निर्वाचन का संचालन करने के लिए विद्यमान संचालक मण्डल की अवधि की समाप्ति के छः माह पूर्व ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, लिखित सूचना निर्वाचन प्राधिकारी को भेजना। साथ ही किसी आकस्मिक रिक्ति के बारे में ऐसी रिक्ति होने के तुरन्त पश्चात लिखित सूचना भेजना।

(ह) अन्य ऐसे समस्त कार्य करना जो रजिस्ट्रार, संचालक मण्डल अथवा वित्तीय बैंक द्वारा समय–समय पर सौंपे जाएं।

अध्याय VI

आंतरिक नियंत्रण

13. बही खाता व लेखाओं तथा रजिस्टरों का अनुरक्षणः—

(1) सोसाइटी द्वारा निम्नलिखित बहीखातों, रजिस्टरों और अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाएगा।

(क) वित्तीय विवरणियों से संबंधित बहीखाते/रजिस्टर/अभिलेखः—

(i) नकद बहीखाता
(ii) बैंक बहीखाता
(iii) दैनिक बहीखाता
(iv) सामान्य बहीखाता
(v) सहायक बहीखाता
(vi) शेयर पूंजी बहीखाता
(vii)जमाराशि बहीखाता—बचत, सावधि जमा, आवर्ति जमा, पुनर्निवेश जमा
(viii)उधार बहीखाता— अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन
(ix) सदस्य ऋण बहीखाता— अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन (कृषि और गैर—कृषि)
(x) विविध ऋण बहीखाता
(xi) फर्नीचर, फिक्स्चर और कार्यालय उपकरण रजिस्टर
(xii) भूमि और भवन रजिस्टर
(xiii) मूल्यह्रास चार्ट रजिस्टर
(xiv) स्टॉक रजिस्टर
(xv) खरीद रजिस्टर
(xvi) विक्रय रजिस्टर
(xvii) सेफ डिपोजिट लॉकर प्रचालन रजिस्टर
(xviii) विविध देनदार बहीखाता
(xix) सस्पेंस आस्ति बहीखाता
(xx) सस्पेंस देनदारी बहीखाता
(xxi) लाभांश बहीखाता
(xxii) रसीद पुस्तकें
(xxiii) वाउचर फाईल

(ख) वित्तीय विवरण से असंबंधित बहीखाते/रजिस्टर/अभिलेखः—

(i) सोसाइटी के उपनियमों की प्रति
(ii) राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम और नियमों के साथ उसमें समाविष्ट संशोधन

(iii) सोसाइटी द्वारा किए जाने वाले व्यवसाय के अन्य नियम व विनियम की प्रतियां
(iv) सदस्यता रजिस्टर
(v) वर्तमान वर्ष में मतदान का अधिकार करने वाले सभी सदस्यों की अद्यतित सूची का रजिस्टर जिसे वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 30 दिनों के अंदर तैयार किया गया हो।
(vi) सोसाइटी द्वारा प्रदत्त विभिन्न सेवाओं का सदस्यवार संरक्षण (Patronage) दर्शाने वाला रजिस्टर
(vii) कार्यवृत्त पुस्तिका/बही
(viii) खाता खोलने व बंद करने का रजिस्टर
(ix) सावधि जमाराशियों के परिपक्वता देय ऋण रजिस्टर
(x) मासिक ब्याज भुगतान रजिस्टार
(xi) बीमा पॉलिसी और नवीनीकरण रजिस्टर
(xii) ऋण पावती रजिस्टर
(xiii) तुलन रजिस्टर
(xiv) निष्क्रिय जमाखाता रजिस्टर
(xv) उधार देय तिथि रजिस्टर
(xvi) निवेश व परिपक्वता रजिस्टर
(xvii) गिरवी रखे स्टॉक का रजिस्टर
(xviii) दायर वाद रजिस्टर
(xix) DCB रजिस्टर
(xx) अतिदेय/NPA रजिस्टर
(xxi) लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, जांच प्रतिवेदन, निरीक्षण प्रतिवेदन और उनके अनुपालना प्रतिवेदन की प्रतियां
(xxii) सदस्यों के भूमि अभिलेख रजिस्टर
(xxiii) स्टाफ उपस्थिति रजिस्टर
(xxiv) व्यवस्थापकीय सेवा नियम
(xxv) सदस्यता आवेदन पत्र रजिस्टर
(xxvi) पत्र प्राप्ति एवं वितरण रजिस्टर
(xxvii) सम्पत्ति रजिस्टर
(xxviii) प्लान्ट एवं मशीनरी रजिस्टर
(xxix) अंकेक्षण आक्षेप एवं पूर्ति रजिस्टर
(xxx) अन्य लेखा पुस्तकें, जिन्हें तैयार करने के लिए समय समय पर रजिस्ट्रार, संचालक मण्डल या वित्तदाता बैंक द्वारा निर्दिष्ट किया जाए।

(2) सोसाइटी के बहीखाते, अभिलेख व रजिस्टरों को व्यवस्थापक या उसकी अनुपस्थिति में संचालक मण्डल द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य कर्मचारी की अभिरक्षा में रखे जाएंगे।

(3) व्यवस्थापक की अनुपस्थिति में संचालक मण्डल, सोसाइटी के उस कर्मचारी को विनिर्देशित करेगा जो:

(क) लेखा बहीखातों का अनुरक्षण करेगा;
(ख) नकद व स्टोर की अभिरक्षा करेगा;
(ग) अन्य बहीखाते व रजिस्टरों को रखेगा; और
(घ) विवरणियाँ और वित्तीय विवरणी तैयार करेगा.
बशर्ते कि जिस व्यक्ति को लेखाकर्म का जिम्मा सौंपा गया है उसे नकद का प्रभार नहीं दिया जाएगा।

(4) सोसाइटी के व्यावसायिक समय के दौरान संचालक मण्डल के किसी भी सदस्य के अवलोकन हेतु ये बहीखाते व लेखा और अन्य अभिलेख उपलब्ध रहेंगे।

(5) राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम और नियम, उपनियम, साधारण सभा से संबंधित कार्यवृत्त बही/पुस्तिका, लेखा परीक्षण, जांच या निरीक्षण प्रतिवेदन और उस पर की गई अनुपालना, सदस्यता सूची की प्रतियां संचालक मण्डल द्वारा निर्धारित शुल्क पर व्यावसायिक समय के दौरान किसी भी सदस्य के लिए उपलब्ध होंगी।

(6) सोसाइटी ऐसे लेखाकर्म और उससे जुड़े अन्य मामलों को ऐसे रूप और तरीके से अनुरक्षित रखेगी जैसा कि सहकारी सोसाइटी अधिनियम/नियमों के अधीन ऐसा करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्देशित किया जाए।

(7) सोसाइटी सक्षम प्राधिकारी की अपेक्षानुसार समय–समय पर रिटर्न और विवरणियां तैयार और प्रस्तुत करेगी।

(8) सोसाइटी पैक्स के कंप्यूटरीकरण के माध्यम से कार्यान्वित किए जा रहे नाबार्ड द्वारा डिजाइन किए गए कॉमन सॉफ्टवेयर सिस्टम का प्रयोग करेगी।

14. सोसाइटी का लेखा परीक्षण:–

(1) सोसाइटी का लेखा परीक्षण अधिनियम के प्रावधानानुसार निर्धारित समय में स्वयं सोसाइटी द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षक या राज्य सरकार/विभाग द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त लेखापरीक्षक द्वारा प्रतिवर्ष किया जाएगा।

(2) सोसाइटी लेखा परीक्षण के लिए अपेक्षित लेखा विवरणी तैयार करेगी और संपूर्ण लेखा परीक्षण के लिए प्रत्येक वर्ष की समाप्ति के 60 दिनों के अंदर तुलन पत्र और लाभ व हानि खाते पर सोसाइटी के व्यवस्थापक के हस्ताक्षर के पश्चात्

उसे लेखापरीक्षक या लेखापरीक्षक प्रतिष्ठान, जो भी मामला हो, के समक्ष प्रस्तुत करेगी। लेखापरीक्षक को वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 6 महीने की अवधि में लेखा परीक्षण पूरा करना होगा और लेखा परीक्षण प्रतिवेदन तत्काल रजिस्ट्रार के समक्ष अनुपालना प्रतिवेदन सहित प्रस्तुत करनी होगी।

(3) सोसाइटी के टर्नओवर या व्यावसायिक मात्रा के आधार पर संचालक मण्डल या रजिस्ट्रार द्वारा एक विशेष लेखापरीक्षक/आंतरिक लेखापरीक्षक रखा जा सकता है। नियमित आंतरिक नियंत्रण और सहकारी सोसाइटी की निधियों की निगरानी और लेखा प्रबंधन हेतु आंतरिक लेखापरीक्षक स्टाफ में से हो सकता है या उसे आउटसोर्स किया जा सकता है।

(4) सोसाइटी द्वारा लेखा परीक्षा शुल्क का भुगतान किया जाएगा जिसे संचालक मण्डल द्वारा लेखा परीक्षक नियुक्त करने पर स्वयं संचालक मण्डल द्वारा निर्धारित किया जाएगा अन्यथा रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

15. वित्तीय बैंक का निरीक्षण का अधिकारः—

वित्तीय बैंक को सोसाइटी की पुस्तकें व लेखादि का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

अध्याय VII

सोसाइटी की संरचना में परिवर्तन

16. देनदारी में परिवर्तन, आस्तियों और देनदारियों का हस्तांतरण, विभाजन एवं समामेलनः—

(1) सोसाइटी अपनी साधारण सभा में संकल्प द्वाराः

(क) देनदारी के प्रकार या सीमा में परिवर्तन हेतु अपने उपनियमों को संशोधित करने का निर्णय ले सकती है, जो अधिनियम व नियमों में वर्णित शर्तों व सीमाओं के मध्यधीन होगी;

(ख) अपनी आस्तियों और देनदारियों को, संपूर्ण या आंशिक रूप से ऐसी सहकारी सोसाइटी को हस्तांतरित करने का निर्णय ले सकती है जो उस सोसाइटी की साधारण सभा के ऐसे ही संकल्प द्वारा ऐसे हस्तांतरण के लिए सहमत हो;

(ग) अपने को दो या इससे अधिक सहकारी सोसाइटियों में विभाजन का निर्णय कर सकती है;

(घ) किसी अन्य समान सहकारी सोसाइटी के साथ विलय का निर्णय कर सकती है;

(2) कोई भी दो या अधिक ऐसी सोसाइटियां अपनी साधारण सभाओं के विशेष संकल्प द्वारा एक नई सोसाइटी बनाने के लिए आपस में समामेलन करने का निर्णय ले सकती हैं।

(3) सोसाइटी का ऐसी प्रत्येक संकल्प, उसकी साधारण सभा बैठक में विशेष संकल्प के रूप में पारित किया जाएगा और ऐसे संकल्प में देनदारी, हस्तांतरण, विभाजन और समामेलन, जो भी मामला हो, का संपूर्ण विवरण होगा।

(4) सोसाइटी उक्त प्रस्ताव रजिस्ट्रार को भेजेगी और रजिस्ट्रार से अनुमोदन प्राप्त करेगी।

(5) रजिस्ट्रार से अनुमोदन के पश्चात् सोसाइटी अपने सभी सदस्यों और संघ, जिससे वह संबद्ध है, और ऋणदाताओं को संकल्प की प्रतिलिपि के साथ लिखित में नोटिस देगी। इसके विपरीत किसी उपनियम या अनुबंध के होते हुए भी कोई सदस्य, संघ, या ऋणदाता जो इस संकल्प से सहमत नहीं है, को नोटिस प्राप्त करने के एक माह की अवधि के भीतर अपने शेयर, जमाराशियां या सेवाओं, जो भी मामला हो, को वापस लेने का विकल्प होगा।

(6) ऐसे सदस्य, संघ, या ऋणदाता जो उक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर अपने अधिकार का उपयोग नहीं करता है तो उसे संकल्प से सहमत होना माना जाएगा।

(7) सोसाइटी द्वारा पारित संकल्प तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि:

(क) (i) उसके सदस्यों, संघों, और ऋणदाताओं ने अधिनियम और नियमों के अधीन संकल्प पर सहमति या मानित सहमति न दे दी हो या

(ii) अधिनियम या नियमों के अधीन निर्धारित अवधि के भीतर संदर्भित विकल्प का प्रयोग करने वाले सदस्यों, संघों और ऋणदाताओं के सभी दावों को पूर्ण रूप से पूरा न कर लिया गया हो या अन्यथा संतुष्ट न कर दिया गया हो; और

(ख) (i) देनदारी के परिवर्तन की दशा में संबंधित सोसाइटी के उपनियमों का संशोधन पंजीकृत या मानित पंजीकृत न हो गया हो; या

(ii) विभाजन या समामेलन की दशा में सहकारी सोसाइटी या सोसाइटियों के पंजीकरण का प्रमाणपत्र सहकारी सोसाइटियों के रजिस्ट्रार द्वारा जारी न कर दिया गया हो।

(8) किसी सोसाइटी का पंजीकरण रद्द और सहकारी सोसाइटी को विघटित मानते हुए एक निगम निकाय के रूप में अस्तित्वहीन माना जाएगा जब:

(क) ऐसी सहकारी सोसाइटी की संपूर्ण आस्तियां और देनदारियां अन्य सोसाइटी को हस्तांतरित हो जाएंगी; या,

(ख) ऐसी सोसाइटियां अपने को दो या अधिक सोसाइटीयों में विभाजित कर लेंगी और रजिस्ट्रार द्वारा पूर्व की सोसाइटियों का पंजीकरण रद्द कर नवगठित सोसाइटियों का पंजीकरण कर किया जाएगा;

(9) जहां दो या अधिक सोसाइटियों को एक नई सोसाइटी के गठन के लिए समामेलित किया गया है, तो समामेलित की गई सोसाइटियों का पंजीकरण रद्द माना जाएगा और उन्हें विघटित माना जाएगा व उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा।

17. संबद्ध संगठनों का संवर्धनः–

(1) सोसाइटी की साधारण बैठक में पारित विशेष संकल्प द्वारा किसान उत्पादन संगठन (FPO) जैसे संबद्ध संगठनों को अपने उल्लिखित उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए 100% वित्तपोषण के माध्यम से प्रोत्साहित कर सकती है और साधारण

सभा की स्वीकृति पर ऐसे संगठन को तत्कालीन लागू किसी कानून के तहत पंजीकृत किया जा सकता है।

(2) सोसाइटी संबद्ध संगठन में रजिस्ट्रार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अध्यधीन कुल चुकता शेयर पूंजी और रिजर्व में 100% अभिदान के माध्यम से निवेश कर सकती है।

(3) गठित कोई भी संबद्ध संगठन केवल तब तक अस्तित्व में रहेगा जब तक कि साधारण सभा द्वारा उसका अस्तित्व आवश्यक माना जाए।

(4) संबद्ध संगठन को निम्नलिखित तरीके से विघटित या परिसमाप्त किया जा सकता है:

(क) साधारण सभा में पारित विशेष संकल्प द्वारा।

(ख) सदस्यों या जनता के हित के लिए संबद्ध संगठन के परिसमापन के लिए रजिस्ट्रार का निर्देश।

(5) ऐसे किसी संबद्ध संगठन की वार्षिक प्रतिवेदन और लेखाओं को प्रति वर्ष सोसाइटी की साधारण सभा के समक्ष रखा जाएगा।

(6) सोसाइटी द्वारा एक रजिस्टर का संधारण किया जाएगा जिसमें उस सोसाइटी/कंपनियों के नाम व विवरण होंगे जिसमें अधिग्रहित किए गए शेयरों की संख्या और मूल्य, अधिग्रहण की तारीख, तरीका और वह दर, जिस पर शेयरों को बाद में निस्तारित किया गया, के विवरण होंगे।

(7) उक्त उपखंड (6) में संदर्भित रजिस्टर को सोसाइटी के पंजीकृत कार्यालय में रखा जाएगा जिसका किसी भी सदस्य द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है और उससे उसका उद्धरण लिया जा सकता है।

अध्याय VIII

विविध

18. ऋणः—

(1) सोसाइटी द्वारा ऋण केवल सदस्यों को ही दिये जाएंगे। स्थायी अमानतें, राजकीय एवं ट्रस्टी सिक्यूरिटीज, जीवन बीमा निगम की पॉलिसियों आदि पर भी ऋण निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार स्वीकृत किये जा सकेंगे।

सोसाइटी अपनी जमाओं एवं उधारों पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुरूप ब्याज दरें विनिश्चित कर सकेगी।

(2) सदस्यों को ऋण संचालक मण्डल द्वारा स्वीकृत साख सीमा के अंतर्गत या सोसाइटी में विधिवत रूप से लागू ऋण योजनाओं के प्रावधानों के तहत दिया जाएगा।

(3) प्रत्येक सदस्य अपने उत्पादन का विक्रय, दुग्ध उत्पादन, मुर्गी पालन, सुअर पालन, भेड़ पालन, कुटीर उद्योग आदि का उत्पादन ऐसी विक्रय सोसाइटी के माध्यम से या संचालक मण्डल द्वारा निर्देशित एजेन्सी के माध्यम से करेगा। संचालक मण्डल द्वारा निर्देशित सीमा के अंतर्गत ऐसी बिक्री किये गये माल के मूल्य में से सदस्यों के ऋणों या किश्तों की बकाया का समायोजन किया जा सकेगा।

(4) यदि संचालक मण्डल की जानकारी में यह तथ्य आता है कि कोई भी ऋण या नकद साख, जो सोसाइटी द्वारा स्वीकार की गई है, का दुरूपयोग हो रहा है तो वह उसे ब्याज सहित वसूल करने व वापसी की मांग तत्काल कर वसूली हेतु आवश्यक कदम उठाएगा। ऐसी स्थिति में समयावधि समाप्त होने तक रुका नहीं जाएगा।

(5) उक्त उपखण्ड (4) के अंतर्गत संचालक मण्डल द्वारा ऋण एवं नकद साख, जिसका कि दुरूपयोग किया गया है, की स्वीकृति निरस्त कर दी जाती है तो ऋण की मांग तत्काल की जाएगी। जब ऋण या नकद साख की मांग इस प्रकार की जाए, तो इस तथ्य की सूचना व्यवस्थापक तत्काल ऋणी को देगा, जिसमें बकाया रकम एवं उस ऋण पर लगाई गई ब्याज दर का भी उल्लेख होगा। इस प्रकार की कुल बकाया रकम पर निर्धारित दर से ब्याज मांगने की दिनांक से वसूली की दिनांक तक ब्याज वसूल किया जाएगा तथा बिना किसी देरी के वसूली के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाये जाएंगे।

(6) जब किसी जमानतदार की मृत्यु हो जाए या उपनियमों के अंतर्गत उसकी सदस्यता समाप्त हो जाए तो मूल ऋण प्राप्तकर्ता इस तथ्य से तत्काल सोसाइटी को सूचित करेगा और या तो उक्त बकाया ऋण की राशि ब्याज सहित वह तत्काल सोसाइटी को भुगतान करेगा या नया बोण्ड भरेगा, जिसमें सोसाइटी को स्वीकार्य अन्य एक या अधिक की जमानतें हों। यदि संचालक मण्डल द्वारा निर्धारित अवधि में ऋणी द्वारा ऋण की वापसी का प्रबन्ध नहीं किया जाता है या नई जमानतें प्रस्तुत नहीं की जाती है या सदस्य, जिसने कि अचल सम्पत्ति सोसाइटी को बन्धक पर रखकर उसी सम्पत्ति पर अन्य स्रोतों से बन्धक द्वारा ऋण प्राप्त कर लिया है या संचालक मण्डल की पूर्व स्वीकृति के बिना वह ऐसे बन्धक सम्पत्ति का विक्रय करता है या किसी भी समय रखी जमानत अपर्याप्त समझी जाती है, और सदस्य अतिरिक्त जमानत देने में असफल रहता है या

अन्य प्रकार के ऋण की जमानत संचालक मण्डल द्वारा निर्धारित समय में देने में असफल रहता है तो ऐसे ऋण की वापसी की मांग बिना ऋण वापसी के समय की प्रतीक्षा किये, तत्काल की जावेगी।

(7) यदि किसी समय कोई सदस्य सदस्यता के लिए अयोग्य हो जाता है और उपनियमों के अंतर्गत उसका नाम सदस्यता से हटाया जाता है या उसे सदस्यता से निष्कासित किया जाता है तो ऐसे सदस्य में बकाया ऋण या नकद साख, यदि कोई हो, की तत्काल मांग की जाएगी तथा ऋणी से बकाया की ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जावेगी।

(8) व्यवस्थापक सोसाइटी द्वारा दिये गये ऋणों की जमानतों का जब चाहे सत्यापन करने का अधिकारी होगा एवं ऐसा वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य ही किया जाएगा।

(9) सोसाइटी की उधार देने की नीति अधिनियम की धारा 51 के अनुरूप होगी।

19. सदस्यों द्वारा किये गये भुगतान का विनियोगः–

जब कोई सदस्य, जिसकी ओर धनराशि बकाया है और वह उसका भुगतान करे तो उसको निम्न प्रकार से जमा किया जावेगा–

प्रथमतः : शुल्क, डाक रजिस्ट्री एवं अन्य विभिन्न व्यय, जो उसमें बकाया हो।

द्वितीय : ब्याज, और

तृतीय : मूलधन के लिये।

20. सदस्यों के शेयरों पर सोसाइटी का प्रभारः–

किसी सदस्य की जमा शेयर पूंजी, अमानतें या अन्य राशियों पर, जो कि सोसाइटी में किसी सदस्य, भूतपूर्व सदस्य एवं मृत सदस्य की जमा है, पर सोसाइटी का प्रभार होगा और ऐसी राशियां जो सदस्य, भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य की सोसाइटी की ओर से देय हों, में से बकाया राशियां काटी जा सकेंगी।

21. वार्षिक नक्शेः–

(1) सोसाइटी, रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारत प्रपत्र में प्रति वर्ष निम्नांकित विवरण पत्र बनायेगी–

(क) वर्ष का आय एवं व्यय का विवरण पत्र

(ख) लाभ–हानि खाता,

(ग) संतुलन चित्र/तुलन पत्र और

(2) सोसाइटी प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के भीतर भीतर रजिस्ट्रार को निम्नलिखित विवरणियाँ फाईल करेगी–

(क) अपने क्रियाकलापों का वार्षिक प्रतिवेदन,

(ख) अपने लेखाओं के लेखा परीक्षित विवरण,

(ग) साधारण सभा आयोजित करने की तारीख और उनके कार्यवृत्त विवरण,

(घ) ऐसी अन्य सूचना जिसकी रजिस्ट्रार समय समय पर अपेक्षा करे।

(3) उपरोक्त विवरण पत्र 31 मार्च तक के बनाये जाएंगे तथा प्रत्येक की एक प्रति रजिस्ट्रार एवं वित्तीय बैंक को 60 दिन के भीतर प्रेषित की जाएंगी। रजिस्ट्रार

द्वारा इन विवरण पत्रों के सत्यापन व अंकेक्षण प्रमाण पत्र स्वीकार करने के बाद सोसाइटी ऐसे पत्रों का प्रकाशन निर्देशित रीति से कर सकेगी।

22. सदस्यों की सूचीः–

उपविधियों के अनुसार बनाई गई सदस्यों की सूची सोसाइटी के कार्यालय में खुली रखी जावेगी, जिसका निरीक्षण कोई भी सदस्य कार्यालय समय में कर सकेगा। व्यवस्थापक का कर्तव्य होगा कि ऐसे सदस्यों को सूची की प्रतियां दे जो निर्धारित शुल्क पर उसे प्राप्त करना चाहते हों।

23. सोसाइटी द्वारा अधिनियम, नियम व उपविधियों की प्रतियां रखनाः–

सोसाइटी राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, नियम एवं अपनी उपविधियों की एक एक प्रति रखेगी, जिसका निरीक्षण बिना शुल्क के किसी भी उपयुक्त समय, सोसाइटी के पंजीकृत कार्यालय में किया जा सकेगा।

24. विवादों का निपटाराः–

सोसाइटी के गठन, प्रबन्ध या कारोबार के संबंध में किसी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में उसका निपटारा या निर्णय राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 एवं तदन्तर्गत निर्मित नियमों के प्रावधानों के अनुसार किया जावेगा।

25. परिसमापनः–

(1) सोसाइटी का विघटन या परिसमापन राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 व नियम 2003 के अनुसरण में किया जा सकता है।

(2) सोसाइटी के विघटन की दशा में बाह्य देनदारियों को पूरा करने के पश्चात् शेष निधियों का निपटारा राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 60 में वर्णित प्रकार से किया जाएगा।

कार्यालय रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः फा. 15(59)(1)सविरा/नियम/2023–08827 दिनांकः–

उप रजिस्ट्रार,
सहकारी समितियां,
..................(समस्त)।

विषय :– बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्राम सेवा सहकारी समिति के आदर्श उपनियमों में संशोधन बाबत्।

प्रसंग :– विभाग का पत्र क्रमांक फा. 15(59)सविरा/नियम/जीएसएस उपनियम/80 पार्ट–4 दिनांक 8.04.2023

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग समसंख्यक पत्र दिनांक 8.04.2023 द्वारा राज्य की समस्त पैक्स/लैम्प्स के उपनियम संशोधन प्रस्तावित करते हुए अधिनियम की धारा 11 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु भिजवाया गया था। राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.17(9)सह/2023–02887 दिनांक 18.07.2023 द्वारा समितियों की हिस्सा राशि में संशोधन किये जाने का अनुमोदन किया गया है। अतः तदनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्राम सेवा सहकारी समितियों के आदर्श उपनियमों के प्रारूप में निम्नानुसार संशोधन किया जाना आवश्यक समझा गया है–

क्र. सं.	उपनियम संख्या	वर्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान
1.	7(2)	**"ए" श्रेणी सदस्यता की पात्रता :–** कोई भी व्यक्ति, जो अधिनियमानुसार सदस्यता की पात्रता रखता हो और जो कृषक, लघु कृषक, सीमान्त कृषक या कृषि श्रमिक अथवा पशुपालक हो या ग्रामीण दस्तकार हो (जैसा कि इन शब्दों को राजस्थान सरकार द्वारा परिभाषित किया	**"ए" श्रेणी सदस्यता की पात्रता :–** कोई भी व्यक्ति, जो अधिनियमानुसार सदस्यता की पात्रता रखता हो और जो कृषक, लघु कृषक, सीमान्त कृषक या कृषि श्रमिक अथवा पशुपालक हो या ग्रामीण दस्तकार हो (जैसा कि इन शब्दो को राजस्थान

Signature Not Verified
Digitally signed by Meghraj Singh Ratnoo
Designation : Registrar
Date: 2023.09.12 15:25:05 IST
Reason: Approved

		गया है) इस सोसाइटी के कार्यक्षेत्र का निवासी हो अथवा उसकी कृषि भूमि इस सोसाइटी के कार्यक्षेत्र में हो, व्यक्तिगत सदस्य के रूप में प्रवेश के योग्य होगा। सदस्य के रूप में प्रवेश एवं हिस्सों के आवंटन के लिये प्रार्थना पत्र सोसाइटी को निर्धारित प्रपत्र में, सौ रूपये मूल्य के कम से कम 5 शेयरों के मूल्य के साथ प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र के आधार पर अधिनियम एवं नियमों में निर्धारित प्रक्रियानुसार आवेदक को सदस्यता प्रदान की जाएगी। ऐसी सदस्य ''ए'' श्रेणी की सदस्य होगें।	सरकार द्वारा परिभाषित किया गया है) इस सोसाइटी के कार्यक्षेत्र का निवासी हो अथवा उसकी कृषि भूमि इस सोसाइटी के कार्यक्षेत्र में हो, व्यक्तिगत सदस्य के रूप मे प्रवेश के योग्य होगा। सदस्य के रूप में प्रवेश एवं हिस्सों के आवंटन के लिये प्रार्थना पत्र सोसाइटी को निर्धारित प्रपत्र में, सौ रूपये मूल्य के कम से कम **एक शेयर** के मूल्य के साथ प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र के आधार पर अधिनियम एवं नियमों में निर्धारित प्रक्रियानुसार आवेदक को सदस्यता प्रदान की जाएगी। ऐसी सदस्य ''ए'' श्रेणी की सदस्य होगें।
2.	7(5)(क)	कोई भी व्यक्ति जो सोसाइटी का सदस्य बनने का इच्छुक है, उपनियमों के अनुसार 10/– रूपये का शुल्क देकर आवेदन प्रपत्र प्राप्त कर सकता है और सोसाइटी के व्यवस्थापक को विधिवत् भरा हुआ आवेदन प्रपत्र 5 शेयरों के मूल्य 500/– रूपये सहित जमा करा सकता है;	कोई भी व्यक्ति जो सोसाइटी का सदस्य बनने का इच्छुक है, उपनियमों के अनुसार 10/– रूपये का शुल्क देकर आवेदन प्रपत्र प्राप्त कर सकता है और सोसाइटी के व्यवस्थापक को विधिवत् भरा हुआ आवेदन प्रपत्र **एक शेयर का मूल्य 100/–** रूपये सहित जमा करा सकता है;
3.	7(6)	**<u>सदस्यों द्वारा शेयर अभिदानः–</u>** ए–श्रेणी का सदस्य बनने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को सोसाइटी के न्यूनतम पांच शेयर (प्रति शेयर 100/– रुपए) कुल 500/– रुपए का अभिदान करना होगा। सदस्य को प्रवेश करने के समय 10/– का प्रवेश	**<u>सदस्यों द्वारा शेयर अभिदानः–</u>** ए–श्रेणी का सदस्य बनने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को सोसाइटी के न्यूनतम **एक शेयर राशि 100/– रुपए** का अभिदान करना होगा। सदस्य को प्रवेश करने के समय 10/– का प्रवेश शुल्क का

Signature Not Verified

Digitally signed by Meghraj Singh Ratnoo
Designation : Registrar
Date: 2023.09.12 15:25:05 IST
Reason: Approved

		शुल्क का भुगतान करना होगा जो गैर–प्रत्यर्पणीय (Non Refundable) होगा।	भुगतान करना होगा जो गैर–प्रत्यर्पणीय (Non Refundable) होगा।
4.	7(6)(क)(i)	सोसाइटी में दो प्रकार के शेयर होंगे। 'ए' श्रेणी के एक शेयर का मूल्य 100/–रूपये होगा और प्रत्येक सदस्य को न्यूनतम 5 शेयर अर्थात् कुल 500/– रूपये का अभिदान करना होगा। 'बी' श्रेणी के शेयर का मूल्य 1000/–रूपये होगा जो 'बी' श्रेणी के सदस्यों द्वारा क्रय किये जा सकेंगे।	सोसाइटी में दो प्रकार के शेयर होंगे। 'ए' श्रेणी के एक शेयर का मूल्य 100/–रूपये होगा और प्रत्येक सदस्य को न्यूनतम **एक शेयर अर्थात् कुल 100/–** रूपये का अभिदान करना होगा।
5.	7(6)(ख)(i)	प्रत्येक ''ए'' श्रेणी के सदस्य को अपने कम से कम 5 शेयर का धारक होना आवश्यक होगा, किन्तु कोई भी सदस्य सोसाइटी की संपूर्ण शेयर पूंजी के 1/5 भाग से अधिक शेयरों में न तो कोई हित ही रखेगा और न उसके संबंध में दावा ही करेगा। ''बी'' श्रेणी के सदस्य को एक शेयर क्रय करना होगा।	प्रत्येक ''ए'' श्रेणी के सदस्य को कम से कम **एक शेयर** का धारक होना आवश्यक होगा, किन्तु कोई भी सदस्य सोसाइटी की संपूर्ण शेयर पूंजी के 1/5 भाग से अधिक शेयरों में न तो कोई हित ही रखेगा और न उसके संबंध में दावा ही करेगा।

अतः निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 11 के अंतर्गत उपर्युक्तानुसार उपनियम संशोधन बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्राम सेवा सहकारी समितियों को प्रस्तावित करते हुये उपनियम संशोधन की कार्यवाही कर, की गई कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावें।

(मेघराज सिंह रतनू)
रजिस्ट्रार

Signature Not Verified

Digitally signed by Meghraj Singh Ratnoo
Designation : Registrar
Date: 2023.09.12 15:25:05 IST
Reason: Approved